सत्यमेव जयते

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.

राजभाषा

रत्नसिंधु

- हिंदी अर्ध वार्षिक पत्रिका
- अंक : 7

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

रत्नागिरी अंचल

नगर राजभाषा शील्ड

प्रथम क्रमांक : कोंकण रेल्वे, रत्नागिरी.

द्वितीय क्रमांक : इंडियन ओवरसीज बैंक, रत्नागिरी.

तृतीय क्रमांक : आकाशवाणी केंद्र, रत्नागिरी.

प्रोत्साहन पुरस्कार : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी.

अध्यक्ष महोदय के कलम से...

साथियों

सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे इस समिति की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं समिति का आभारी हूँ।

हमारा देश विविध भाषा-भाषियों से समृद्ध बना है, हर प्रदेश की भाषा अलग है, हर प्रदेश की पहचान अलग है। इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोनेवाली भाषा हिंदी है, जिसे अपनों की भाषा कहा जा रहा है। हिंदी भाषा सभी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनानेवाली एक संपर्क भाषा है। अलग-अलग भाषा बोलने वाले अपनी बात सामनेवाले के पास सरल और आसानी से हिंदी में रख सकते हैं।

साथियों हमारी समिति धीरे-धीरे प्रगति के पथपर चल रही है। बैठकों का समयपर आयोजन, हिंदी सप्ताह का आयोजन, कोर कमेटी के सदस्य कार्यालयों का दौरा, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, राजभाषा प्रतिनिधियों का नामांकन, युनिकोड प्रशिक्षण तथा जिस कार्यालय में हिंदी का कार्यान्वयन अच्छा है, उस कार्यालय को "नगर राजभाषा शील्ड" प्रदान करके गौरान्वित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब समिति अपनी वेबसाइट बनाने की भी सोच रही है। जल्द ही यह कार्य पूर्ण होगा। इन सभी कार्यों को पूरा करने में आप सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हमारी समिति ने अपने प्रकाशन 'राजभाषा रत्नसिंधु' में विविधता लाने का प्रयास किया है, फिर भी मेरा अनुरोध है कि, इसमें जो सम्मिलित साहित्य है उसमें सदस्य कार्यालयों की सहभागिता का बहुत महत्व है। कृपया अपने प्रतिभावान स्टाफ को प्रोत्साहित करें।

पुस्तक संसार में शांति तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। आप पढ़े दूसरों को पढ़ने दें, या पढ़ाएं, इससे आपका बडा योगदान होगा। संसार आपको हमेशा याद रखेगा। कारोबार बढ़ाने में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनता की भाषा में कारोबार, यानि प्रगति का पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा।

आप सभी से आग्रह करता हूँ कि, इस समिति की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लें और इसे सफल बनाएं।

मंगल कामनाओं के साथ।

धन्यवाद !

(वि. वि. बुचे)

अध्यक्ष

एवं उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया.

संपादकीय

साथियों,

आप सभी को सविनय नमस्कार,

राजभाषा रत्नसिंधु का सातवां अंक आपके हाथ.में सौंपते हुए हर्ष हो रहा है. हम पाठकों और हिंदी प्रेमियों के सामने विविध विषयों पर आलेख प्रस्तुत करने तथा हमारी समिति के सदस्य कार्यालय के प्रतिभा संपन्न स्टाफ सदस्यों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं. क्षेत्रीय भाषा तो हमारे कारोबार का एक पथ है, उसे अपनाकर हमने उसे पत्रिका में एक विशेष स्थान दिया है.

हम समिति के माध्यम से विविधता में एकता का प्रयोग अपना रहे हैं. हमारे सदस्य कार्यालय में उपक्रम / निकाय, केंद्रसरकारी कार्यालय, बैंक तथा बीमा कंपनी मिलकर समिति को प्रगति पथ पर ले जा रहे हैं.

इस अंक में प्रस्तुत आलेख एवं कविताएं पठनीय तथा संग्रहणीय हैं. रत्नागिरी लोकमान्य तिलक जी, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी की भूमी है जिन्होंने हिंदी को एक संपर्क की भाषा का स्थान दिया है.

समिति की कोर कमेटी द्वारा सदस्य कार्यालयों का दौरा किया गया जिसमें सदस्य कार्यालयों कों हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली कठिणाइयों तथा यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी कार्यान्वयन में बढोत्तरी तथा हिंदी में ई-मेल भेजने, युनिकोड अपलोड करने तथा कार्यालयीन आंतरिक कामकाज पर डेस्क प्रशिक्षण प्रदान करने का मौका मिला. इन सभी कार्यों में आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहा. भविष्य में ही आप सभी का सहयोग रहेगा यह आशा करता हूँ.

शुभ कामनाओं सहित, धन्यवाद ।

(रमेश गायकवाड)
सदस्य सचिव
एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, बैंक ऑफ इंडिया

राजभाषा
रत्नसिंधु

• अध्यक्ष •

वि. वि. बुचे

अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ़ इंडिया

• संपादक •

रमेश गायकवाड

सदस्य सचिव
एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा,
बैंक ऑफ इंडिया

• संपादन सहयोग •

कोंकण रेलवे

जनार्दन शिंदे

• कोर कमेटी सदस्य •

पुरुषोत्तम डोंगरे

आकाशवाणी

जनार्दन शिंदे

कोंकण रेलवे

लक्ष्मीकांत भाटकर

सीमा शुल्क

सतीश रानडे

न्यु इंडिया एश्योरन्स कंपनी

संपर्क कार्यालय

अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति,
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय,
शिवाजी नगर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र - 415 639

प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार रचनाकारों के स्वयं के है। अत: यह आवश्यक नहीं कि इनसे सम्पादक मण्डल सहमत हो ।

अंतरंग

1. आपकी राय 2
2. हिंदी और हमारी कार्यालयीन प्रशासनिक हिंदी 4
3. आपदा प्रबंधन की तैयारी 8
4. हिंदी पद्य में महाराष्ट्र का योगदान 11
5. छोटी-छोटी बातों से बनता जीवन 15
6. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 16
7. साठोत्तरी हिन्दी कविता में साम्प्रदायिक विमर्श 17
8. कबीर : एक समाज सुधारक 20
9. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 22
10. पुस्तक की आत्मकथा 26
11. काव्य 28

आपकी राय

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
थिबा पॅलेस रोड, रत्नागिरी – 415612 (महाराष्ट्र)

महोदय,

हाल मे ही संपन्न हिंदी पखवाडे दरम्यान आकाशवाणी में विविध प्रतियोगिताएँ संपन्न हुई । आकाशवाणी रत्नागिरी मे आयोजित प्रतियोगिता, आपके सहकार्य से कामयाब हुई । हम आपके बहुत आभारी है ।

रत्नसिंधु का छठा अंक देखकर बहोत प्रसन्नता हुई । बैंक ऑफ इंडिया की अग्रणी भूमिका से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य आपने उंचाई पर रख दिया है ।

बहुत–बहुत बधाई और शुभकामनाएँ

भवदीय,
(सुहास विद्वंस)
कार्यक्रम निष्पादक केन्द्राध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन सोलापूर
शिवाजी नगर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र – 415 639
विषय – नराकास पत्रिका प्राप्त होने के सम्बन्ध में ।
महोदय,

सादर नम्र निवेदन है कि आपके पत्र क्रमांक सं. नराकास /रहगा/772/1370 दिनांक–29.10.2015 के अंतर्गत आपकी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रत्नागिरी की पत्रिका 'रत्नसिंधु' का छठा अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख सूचनापरक, ज्ञानवर्धक एवं सराहनीय हैं । आपके अंकन में सामग्री संकलन प्रशंसनीय है ।

पत्रिका के सफल संपादन के लिये आपको एवं संपादक मण्डल का बहुत–बहुत बधाई । धन्यवाद ।

सुभाष सैनी,
सदस्य सचिव नगर राजभाषा कायान्वयन समिति, सोलापूर एवं
उप प्रबन्धक राजभाषा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय, सोलापूर

भारत सरकार का उपक्रम
कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जामनगर नाशिक–422 002
महोदय,

आप द्वारा भेजी गई हिंदी पत्रिका राजभाषा 'रत्नसिंधु' का अंक प्राप्त कर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । पत्रिका का हर भाग गहराई से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि आप ने पत्रिका के छापने में तन मन धन से प्रयास किया है । हमें आशा है कि हमारे सभी सदस्य गण भी इसी प्रकार पत्रिका छापने का कार्य प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि पत्रिका के माध्यम से हम न केवल एक दूसरे को जानने समझने का शुभ अवसर प्राप्त कर पायेंगे बल्कि राजभाषा हिंदी के लागू करने का स्वप्न साकार करने में हमें पूर्णत: सफलता प्राप्त होगी ।

शुभकामनाओंसहित,

भवदीय,
(सी. एल. यादव)
राजभाषा अधिकारी
कार्यालय महाप्रबंधक, दूरसंचार,जामनगर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक)
शामला हिल्स, भोपाल 462 002
महोदय,

आपके संस्थान की पत्रिका 'रत्नसिंधु' का छठा अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित लेख, कविताएं, रचनाएं आदि उत्साहवर्धक हैं । पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए सम्पादक व पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाऐं ।

भवदीय,
(डी. के. तिवारी)
सदस्य सचिव

मुख्य आयकर आयुक्त
महोदय,

अपने शीर्षक को चरितार्थ करते हुए सिंधु तट की औद्योगिक समृद्धी को दर्शाती पत्रिका का मुखपृष्ठ अत्यंत ही चित्ताकर्षक है । पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न लेख, कविताएं एवं सूचनापरक रचनाएं पाठकों को स्वयमेव आकर्षित करती हैं । श्री कृष्णात खांडेकर का 'बहु माध्यम (मल्टी मीडिया) और हिंदी भाषा' श्री शिरीष कुमार कुन्दे का 'भारतीय सीमा शुल्क और रत्नागिरी सीमा शुल्क मंडल की भूमिका' श्री सी. जे. महामूलकर का 'बेटी है तो कल है' उत्कृष्ट लेख है । पत्रिका में चित्रों के माध्यम से नराकास, रत्नागिरी के कार्यकलापों की झलक, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप में दिखाई पडती है साथ ही मराठी भाषा के आलेख, काव्य सम्मिलन से पत्रिका की गुणवत्ता और बढ गई है । पत्रिका में प्रकाशित अच्छी रचनाओं के संकलन के लिए संपादक मंडल को बहुत–बहुत बधाई ।

मेरी कामना है कि राजभाषा 'रत्नसिंधु' के आगामी अंक नित नए कलेवर के साथ प्रकाशित होते रहें ।

भवदीय,
(प्रकाश चंद्र मिश्र)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
एवं सदस्य सचिव, नराकास कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त इलाहाबाद

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान

महोदय,

आपके कार्यालय की हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु'' के अंक-6 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद । पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनायें उच्च स्तर की है । रचनाओं का यह उत्कृष्ट संकलन आपके कार्यालय की रचनात्मक प्रतिभा का दर्पण है ।

पत्रिका में सम्मिलित किया गया श्री कृष्णात खांडेकर का लेख 'बहु माध्यम (मल्टी मीडिया) और हिंदी भाषा', श्री दिपेन जी. रॉबर्ट की रचना 'लदे हैं करोडों के गहने', श्री सदानंद चितले की रचना 'मेरे गुरू', श्री सी. जे. महामुलकर का लेख 'बेटी है तो कल है' एवं श्री रमेश मुसळे की रचना 'जियो जिंदगी' बहुत ही प्रशंसनीय है ।

पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं ।

भवदीय,
(हरीश चंद्र माखीजा)
हिन्दी अधिकारी /राजभाषा कक्ष

प्रधान महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर- 474 002

महोदय,

आपके पत्र सं. नराकास/रहगा/772/1370 दिनांक 29.10.2015 के साथ आपके कार्यालय की पत्रिका 'रत्नसिंधु' का 6 वा अंक प्राप्त हुआ ।

पत्रिका के आवरण पृष्ठ एवं राजभाषा गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र मनमोहक है । इस अंक में समाविष्ट रचनाएँ पठनीय एवं संग्रहणीय है । विशेषकर श्री रवि दिवाकर गिरहे का **भारत का संविधान तथा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर** तथा श्री. सी. जे. महामुलकर का **'बेटी है तो कल है'** विचारप्रधान, ज्ञानवर्धक एवं रोचक लेख है । **दर्द, जिन्दगी, बलि, जियो जिंदगी** कविताएँ प्रशंसनीय हैं । **'मौत आई जो टल गई,' 'आतंकवाद : आप बीती'** मर्मस्पर्शी है ।

पत्रिका के उत्तम संपादन व संकलन हेतु संपादक मंडल को साधुवाद तथा पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी/राजभाषा)

युनायटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय – 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700 001

महोदय,

आपकी पत्रिका का यह अंक आकर्षक एवं उपयोगी है । इस अंक में प्रकाशित लेख 'बहु माध्यम (मल्टी-मीडिया) और हिन्दी भाषा' में बहुत उपयोगी तथ्य है, जिसमें कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है । 'मेरे गुरू' रचना द्वारा पृथ्वी पर विद्यमान सभी छोटे एवं बडे जीवों की उपयोगिता को बताया गया, जो कि काफी ज्ञानवर्धक है । इसके अलावा पत्रिका में प्रकाशित अन्य रचनाएं भी रोचक हैं ।

पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई ।

शुभकामनाओं सहित ।

भवदीय,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद – 500 058

महोदय,

रत्नागिरी की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गृह-पत्रिका राजभाषा ''रत्नसिंधु'' का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ । याद से पत्रिका भेजने के लिए धन्यवाद । सदस्य कार्यालयों द्वारा संपन्न राजभाषा गतिविधियों की चित्रात्मक प्रस्तुति सराहनीय है । हिंदी भाषा को आधुनिक टेक्नॉलॉजी के साथ जोडते हुए प्रस्तुत 'मल्टीमीडिया और हिंदी भाषा' शीर्षक लेख, व 'जैतापूर परमाणु विद्युत परियोजना की संक्षिप्त जानकारी' शीर्षक लेख जानकारीप्रद है । कविताएँ भी पठनीय हैं । इस तरह के स्तरीय प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को साधुवाद । अगले अंक की प्रतिक्षा में ।

संधन्यवाद ।

भवदीय,
(होमनिधी शर्मा)
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं सचिव, टॉलिक (उ)

रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणी भुसावल – 425 203

महोदय,

रत्नागिरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रकाशित छमाही राजभाषा पत्रिका 'रत्नसिंधु' के छठवें अंक को प्राप्त करते हुए अपार हर्ष हुआ ।

'रत्नसिंधु' में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक, ज्ञानवर्धक व उत्कृष्ट हैं । राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी गतिविधियों को दर्शाते छायाचित्र पत्रिका की सुन्दरता को बढाते हैं । राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पत्रिका का योगदान सराहनीय है । पत्रिका सम्पादन में संपादक मण्डल के आत्मीय प्रयास झलकते हैं ।

प्रकाशन की दृष्टि से 'रत्नसिंधु' आकर्षक व उपयोगी है । इसके उत्तम व सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ । सम्पादक मण्डल को साधुवाद ।

भवदीय,
(अभिलाष कृष्णराव देशमुख)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), बैंगलूर

महोदय,

आपके पत्र संख्या : नराकास/रहगा/772/1370 दिनांक 19.10.2015 के साथ हिंदी पत्रिका 'रत्नसिंधु' अंक 6 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद । इसमें प्रकाशित लेख एवं कविताएं बेहद रोचक लगीं । मुझे आशा है आगे भी इसी तरह रंगीन आवरण एवं मनमोहक साज सज्जा से भरी सुंदर पत्रिका से अवगत कराते रहेंगे । प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भवदीय,
(डॉ. प्र. श्री. मूर्ति)
सदस्य सचिव, नराकास (का) एवं
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, सीएसआई आर-एनएएल

हिंदी और कार्यालयीन प्रशासनिक हिंदी

जनार्दन शिंदे
कोंकण रेलवे
रत्नागिरी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत बने अधिनियमों के अंतर्गत बने अधिनियमों के अनुसार लगभग सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी है तथा अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा भी हिंदी है । वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(2) के अधीन जारी किये गये नियमों के तहत 'क' क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालयों में शतप्रतिशत एवं 'ख' क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालयों में नब्बे प्रतिशत कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हैं । और यह भी बडा सत्य है कि सरकारी आदेशानुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये राजभाषा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना अनियार्थ है ।

सरकारी कामकाज हिंदी में होना तभी संभव है, जब सरकारी कर्मचारी हिंदी जानते हो और हिंदी में काम करने के लिये प्रवृत हों । हिंदी का ज्ञान रखने तथा प्राप्त कर लेने पर भी अनेक कर्मचारी हिंदी में काम नहीं करते इसके मुख्य कारण है ।

1) उपयुक्त वातावरण तथा अवसरों का अभाव ।

2) पहले से अभ्यास न होने के कारण हिंदी में लिखने में संकोच ।

3) या फिर अंग्रेजी में काम करने की आदत ।

जो कर्मचारी पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहें है उनसे अगर हिंदी में सरकारी कामकाज करने को कहें तो उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनके लिए संभव नही हो पाएगा । उन्हें लगता है कि उन्हें हिंदी का पर्याप्त ज्ञान नही है और न ही उनमें इतना सामर्थ्य है कि वे अपना सरकारी कामकाज कुशलता से हिंदी में कर पायेंगे । अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी अपने कार्यालय का काम हिंदी में करना चाहतें है किन्तु इसकी शुरुआत नही कर पाते । ये यद्यपि हिंदी में बातचीत करते है और हिंदी में पढ और लिख सकते है फिर भी उनके मन में यह डर बना रहता है कि क्या उनका उतना हिंदी का ज्ञान पर्याप्त है तथा क्या ऊसके आधारपर उनके लिए कार्यालय का कामकाज प्रशासनिक हिंदी में कर पाना संभव होगा? पहले से अंग्रेजी में काम करने की आदत रही है । दुसरे साथी भी अंग्रेजी में लिखते पढते है । चारों ओर का वातावरण अंग्रेजीमय दिखाई पडता है । हिंदी लिखने मे शायद अशुद्धियां हो जाएगी ऐसी धारणा भी रहती है । इन सब कारणों से हिंदी में काम शुरू करने में संकोच बना रहता है । उनके मन में यह भी डर बना रहता है कि जितनी आसानी से वे अंग्रेजी में काम निपटा पाते है उतनी आसानी हिंदी में नही होगी । वे सोचते है कि जब तक उन्हे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त न हो जाएं तब तक उन्हें कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने की बात नही सोचनी चाहिए ।

जब की वास्तविकता यह है कि कर्मचारी को प्रशासनिक हिंदी जितनी जटील लगती है उतनी वह नहीं है । हां, कर्मचारी को लगता है कि प्रशासनिक हिंदी का जो विस्तृत दायरा है उसका ज्ञान वह कैसे समझ पायेगा? और इसी गलत धारणा का प्रभाव उसे हिंदी में कार्य करने से रोकता है । हांला कि हिंदी भाषा के अनेक रूप है प्रशासनिक हिंदी उसका एक छोटासा हिस्सा है और उस प्रशासनिक हिंदी के छोटे से दायरे में कर्मचारी को कार्य करना होता है ।

हिंदी और प्रशासनिक हिंदी गलत फहमियां एवं वास्तविकता

जब हिंदी और प्रशासनिक हिंदी की तुलना करनी है तब सबसे पहले हिंदी भाषा का ढाँचा एवं प्रशासनिक हिंदी में उसका प्रयोजन इसका तुलनात्मक विचार करना सबसे आवश्यक है । बहुसंख्य कर्मचारियों की यह सोच है कि कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है ।

अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के कई रून हैं ।

भाषा की दृष्टी से हिंदी भी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निभा रहीं है । इसी आधार पर हिंदी के निम्न रूप देखने को मिलते है ।

1) साहित्यिक हिंदी

2) विज्ञान और तकनीकी हिंदी

3) विधि कार्यो से संबद्ध हिंदी

4) प्रशासनिक या कार्यालयीन हिंदी

5) जन संचार के माध्यम पत्रकारिता रेडिओ दूरदर्शन के रूप में हिंदी

6) वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी

7) जनता के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी

1) **साहित्यिक हिंदी –** साहित्यिक हिंदी के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत कविता, कथा, साहित्य, आलोचना, नाटक, निबंध की भाषा आदि आती है । साहित्यिक गद्य हिंदी में कई प्रकार है । हर गद्य हिंदी साहित्यकार की अपनी अपनी शैली होती है । उसकी रचना में प्रयुक्त हिंदी दूसरे हिंदी साहित्यकार की रचना में नहीं पायी जाती है । मिसाल के तौरपर मुंशी प्रेमचंदजी की रचना में पायी जानेवाली हिंदी शिव खेडाजी के साहित्य नहीं पायी जाती है और शरतचंद्रजी की साहित्यिक हिंदी इनसे भी अलग है । बकिंमचंद्र चट्टोपाध्याय की शैली इन सबसे भिन्न है । वैसे ही पद्य साहित्यकारों में संत कबीर के दोहों में पायी जानेवाली प्राचीन हिंदी हरवंशराय बच्चनजी के रचनाओं में नहीं पायी जाती । शायरों के शायरी में प्रयुक्त हिंदी उर्दूमिश्रित होती है तथा उसमें भी भिन्नता होती है । उपरोक्त सभी साहित्यकार अपनी अपनी शैली के बेताज बादशाह हैं और सबसे ध्यानमें रखनेवाली बात है कि यह सभी तथा और अन्य साहित्यकार भी हिंदी भाषा के साहित्य के निपुण साहित्यकार है ।

2) **विज्ञान और तकनीकी हिंदी –** इस भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के एवं तकनीकी तथ्यों को आसानी से स्पष्टत: अभिव्यक्त किया जा सकता है । किंतु वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिक प्रगति का प्रमुख आधार अब तक अंग्रेजी होने के कारण पिछली शताब्दी से हिंदी इस विषय में दबी पडी थी ।

3) **विधि कार्यो से संबद्ध हिंदी –** विधि कार्यो से संबद्ध में हिंदी में न्यायालय और कानून संबधी साहित्य शामिल है । इसमें विधेयक अधिनियम, करारनामा आदि साहित्य शामिल है ।

4) **प्रशासनिक या कार्यालयीन हिंदी –** प्रशासनिक या कार्यालयीन हिंदी में विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों मे प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा आती है ।

5) **जन संचार के माध्यम के रूप मे हिंदी –** जन संचार के माध्यम के रूप मे हिंदी में पत्र पत्रिकाओं में रेडिओ, दूरदर्शन पर प्रस्तुत हिंदी आती है जैसे समाचार पत्रों मे प्रयुक्त भाषा उद्घोषको द्वारा प्रयुक्त भाषा । इसमें तकनीकी शब्दावली कम से कम लाने का प्रयास रहता है ताकि जन सामान्य के लिए यह भाषा बोधगम्य हो सके ।

6) **वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी –** वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में मंडियों में सर्राफों द्वारा बैंको में होता है ।

7) **जनता के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी –** (बोलीभाषा) हिंदुस्थान के अलग अलग हिस्सों मे बोली जानेवाली हिंदी हर प्रांत से अलग है । आम तौर पर सभी लोगों की यही भावना हैं कि उत्तर तथा मध्य भारत में बोली जानेवाली भाषा ही हिंदी भाषा का सही रूप है । क्या चेन्नई में बोली जानेवाली हिंदी हिंदी नही है? महाराष्ट्र में बोली जानेवाली हिंदी भाषा का नाम हिंदी नही है? क्या असम या कर्नाटक में बोली जानेवाली हिंदी हिंदी नहीं है? भारत के सभी प्रांतों में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल में होता है । अलग अलग प्रांतों में बोली जानेवाली हिंदी भाषा में थोडा थोडा सा फर्क है । भिन्नता है । और शायद यही कारण है कि हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिये इच्छूक कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज में कौनसी हिंदी का प्रयोग उचित रहेगा इसके लिए संभ्रमित रहते हैं ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबध में मुख्य चिंता यह है कि कौनसे ऐसे उपाय है जिनसे कार्यालय, संगठन में हिंदी का प्रयोग सचमुच बढ सकता हैं । सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबध में प्रगति होने के लिए अनेक आदेश पहले से ही विद्यमान है तथा समय समय पर नए आदेश भी निकलते हैं । हिंदी का कार्यान्वयन बढने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनेक नगद पुरस्कार दिए जाते है । लेकिन फिर भी राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन पर्याप्त रूप में नहीं हो पाता है । इस स्थिती का निवारण कुछ और आदेश निकालने से या और पुरस्कार योजनाएं घोषित करने से नहीं होगा । इसके लिए कई प्रकार के मानसिक अवरोध हैं जिनके कारण प्रगति संतोषजनक नहीं होती दिखाई पडती है । मनोवैज्ञानिक पहलूओं कों भी ध्यान में रखने की आवश्यकता हैं ।

राजभाषा हिंदी तथा उसके प्रयोग के बारे में हिंदी जाननेवालों में तथा न जाननेवालों के मन में कई भ्रातियां तथा गलत धारणाएं हैं। जो हिंदी जानते हैं वे सरकारी कामों मे हिंदी के प्रयोग इस डर से नहीं करते कि उससे अधिकारी नाराज हो जाएंग। अनेक लोग यही समझ बैठे हैं कि अभी हिंदी में काम किया तो कार्य जल्दी नहीं निपट पाएगा तथा कार्यकुशलता घटेगी । जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे समझतें है कि उन्हें कार्यालय के काम योग्य हिंदी नही आती अत: स्वंय को हिंदी में काम करने में असमर्थ मान लेते हैं । अहिंदी भाषिक जब यह देखते हैं कि हिंदी भाषी व्यक्ति ही हिंदी में काम नहीं करते तो वे भी इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं करते । हिंदी बहुत समय से इन मानसिक अवरोधों के बीच फंसी हुई हैं ।

इस प्रकार की अन्य अनेक भ्रांतियां अब भी हिंदी का कार्य करने इच्छूक कर्मचारियों के मन में हैं । हमें हिंदी इतनी नहीं आती तथा उस प्रकार की नहीं आती जिसमें सरकारी काम हिंदी में किया जा सकें । यदि हम हिंदी लिखे तो दुसरा व्यक्ति क्या उसे पढ पाएगा और आसानी से समझ पायेगा । दो चार पंक्तियों का काम शायद हिंदी में किया जा सके जो पत्र बाहर भेजनें है वे हिंदी में कैसे टाईप होंगे? चारों ओर का वातावरण अंग्रेजीमय है कोई हिंदी का काम नहीं करना चाहता मैं ही क्यों पहल करूं और कब करू? जब हमें हिंदी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो हिंदी कैसा लिखें, जब उक्त भ्रांतियों से कर्मचारी घिरा रहता है । तो वह न ही हिंदी समझ सकता है, न ही पढ लिख सकता है ।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग न करने पर अमुक अमुक प्रकार का दण्ड का प्रावधान है इसका उल्लेख किसी अधिनियम अथवा नियम में हो जाने से कुछ लोगों को संतोष भले ही हो जाएं किन्तु वह समस्या का उचित समाधान नहीं हो सकता । भाषा का प्रश्न ह्रदय से संबंधित है जबकी मस्तिष्क से इतना नहीं हैं । एक बार जब ह्रदय में यह बात बैठ जाती है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना गौरव की बात है ऐसा करना अपना कर्तव्य है तथा प्रशासनिक हिंदी भाषा कितनी आसान है इसका बोध उन्हें कराया जाए तो लोग स्वेच्छा से हिंदी में कार्य करना आरंभ कर देते हैं । उससे सौदार्ह वातावरण बना रहता है । प्रेम और सद्भाव के किए जानेवाले काम का दुरगामी सुखद परिणाम निकलता हैं । दण्ड का भय दिखाते रहने से हिंदी का कार्यान्वयन नही बढ सकता । उससे असंतोष पनपता है । परस्पर द्वेष बढता है और अनेक प्रकार की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं । जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण में यह बात सामने उभरकर आयी हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत बने अधिनियमों के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी को वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(2) के अधीन जारी किये गये नियमों के तहत 'क' क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालयों में शतप्रतिशत एवं 'ख' क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालयों मे नब्बे प्रतिशत कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हैं । इस नियम के चलते हम सिर्फ उक्त अधिनियम एवं नियमों की कठणता की ओर ध्यान देतें है और यही कारण हैं कि प्रशासनिक हिंदी में सरकारी कामकाज करनें में हम खुदको असमर्थ पाते हैं ।

जबकी इस समस्या का हल इतना आसान है कि हम हल के समाधान की तरफ ध्यान ही नही देतें ।

हिंदी भाषा-प्रशासनिक हिंदी-रेल की प्रशासनिक हिंदी

सभी भाषाओं में हिंदी की मात्रा जितनी है उस हिंदी में प्रशासनिक हिंदी का प्रतिशत दस प्रतिशत भी नही है । और यही प्रशासनिक हिंदी का प्रतिशत हमें सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने मे सबसे आसान रास्ता दिखाता है । हमें सरकारी कामकाज उस प्रशासनिक हिंदी में करना है जिसका प्रतिशत पुरे हिंदी की तुलना में सिर्फ दस प्रतिशत भी नहीं है । इस आसानी के बावजूद और एक आसान वास्तविकता की ओर हम ध्यन नहीं देतें है । क्या इस बात की जानकारी हमें है कि जो सरकारी कामकाज हमें हिंदी में करना है वह कामकाज प्रशासनिक हिंदी का कितवाँ हिस्सा हैं?

जब कोई भाषा अलग अलग क्षेत्रों में व्यवहार की भाषा बन जाती हैं तो संदर्भ के अनुसार उसकी शब्दावली और वाक्य संरचना में भिन्नता आ जाती है । जिससे उसके भिन्न भिन्न भाषा रूप उभर आते हैं । प्रशासनिक हिंदी की भी यही स्थिती है । प्रशासनिक हिंदी के इस व्यावहारिक पक्ष पर विचार करते हुए सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक हिंदी की वर्तमान स्थिती तथा भविष्य में उसके प्रयोग की संभावना पर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है । प्रशासनिक हिंदी सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य में प्रयोग लायी जानेवाली भाषा है । क्या सभी कार्यालय जैसी प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग करते है? केंद्र सरकारी कार्यालयों में बैंक, एश्योरेंस कम्पनियाँ, डाक विभाग, सीमा शुल्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी, आयकर विभाग, रेल विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग आदी के कार्यालयों का अंतर्भाव होता है । चूँकि हर कार्यालय के प्रशासनिक हिंदी का अपना एक अलग शब्द भंडार, अपनी एक

अलग लेखन शैली और अपनी एक अलग व्याकरणिता होती है । जो उस कार्यालय के प्रशासनिक हिंदी भाषा को दूसरे अन्य सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक हिंदी भाषा से पृथक बना देती है । इसलिए यहाँ इस भाषायी संरचना का या फिर उसके सिमित दायरे का भी विश्लेषण करना जरूरी है । जैसे कि उक्त भाग में उल्लिखित हर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होनेवाली प्रशासनिक हिंदी भाषा अलग अलग है । इस वास्तविकता की जानकारी तब होती है जब हर माहोल में काम करनेवाले केंद्र सरकारी कर्मचारी को इस बात का एहसास हा जाता है कि जितनी प्रशासनिक हिंदी हम अपने कार्यालय में प्रयोग में लाते हैं वह प्रशासनिक हिंदी का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यालय तक ही सिमित है । उक्त संरचना के अनुसार हर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होनेवाली प्रशासनिक हिंदी भाषा अलग अलग है और तब कार्यालयीन प्रशासनिक हिंदी कार्य का क्षेत्र बहुत ही छोटा हो जाता है । उदाहरण के तौर पर बैंकों में प्रयोग में लानेवाली प्रशासनिक हिंदी हमारे रेल कार्यालयो में प्रयोग में नहीं लायी जाती । तथा इससे भी आगे जा कर देखा जाए तो निम्नलिखित कारण से हमारा प्रशासनिक हिंदी कार्य का क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है । रेल कार्यालयों मे अनेक विभाग होते है, तथा हर विभाग की अपनी शब्दावली होती है । अपना अलग शब्दभंडार होता है । आवास, आबंटन, पदोन्नती, नियुक्ति, पदानवती ये शब्द अधिकतर कार्मिक विभाग में प्रयुक्त होते है । इंजिनिअरी विभाग में प्रयुक्त होनेवाले शब्द इससे भिन्न है । तो सत्यापन, वेतनपर्ची, कटौती, लेखा परिक्षक आदि शब्द लेखा विभाग में प्रयोग किए जाते है । जब हम रेल कार्यालय के किसी एक विभाग में कार्य करते हैं और हमें अगर राजभाषा हिंदी में कार्य करना अनिवार्य है तब हमें हमारे विभाग में प्रयोग किए जानेवाले प्रशासनिक हिंदी का दायरा कितना छोटा है । उसका अलग शब्दभंडार, अलग शब्दावली है (संदर्भ कोंकण रेलवे द्वारा सन 2001 में प्रकाशित 'राजभाषा पुस्तिका') इसका बोध, इसकी जानकारी अगर हम दिल से और आत्मियता से प्राप्त कर लें तो यही प्रशासनिक राजभाषा हिंदी में कार्य करना कितना आसान है इसका एहसास हमें कुछ ही पलों में हो सकता हैं...। प्रशासनिक राजभाषा हिंदी का स्वरूप ही प्रणाली में प्रयुक्त साहित्य अर्थात पत्राचार की रूपरेखा और उसकी भाषा का रूप आदि निर्धारित करता हैं । हमारे देश के किसी भी प्रशासनिक संगठन को लिया जाए उसमें किए जानेवाले पत्राचार की रूपरेखा और उसमें प्रयुक्त होनेवाली भाषा आदि एक समान हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं ।

1) पत्र 2) परिपत्रक 3) कार्यालय ज्ञापन 4) अर्ध सरकारी पत्र 5) प्रशासनिक ज्ञापन नोट 6) पृष्ठांकन 7) अधिसूचना 8) संकल्प 9) प्रेस विज्ञप्ति नोट 10) तार 11) सेविंग्राम 12) कार्यालय आदेश 13) आदेश 14) पावती 15) अंतरिम उत्तर

अब आपको यह लग सकता है कि इतने सार प्रकार हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं । क्या आपने विद्यार्थी दशा में अपनें अध्ययन में इसका अभ्यास नहीं किया है । चाहें कोई भी मातृभाषा हों, हक हमारे माध्यमिक शिक्षण में इन्ही सभी पत्राचार का अध्ययन कर चूकें हैं । सिर्फ हमें याद करने की आवश्यकता हैं । क्या उपरोक्त उल्लिखित सभी पत्राचार के नमूने हर कर्मचारी को करने पडतें है? अगर यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा तो यह पहले से ही स्पष्ट हैं कि हर विभाग की अपनी शब्दावली होती है । अपना अलग शब्दभंडार होता है । जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उस विभाग की शब्दावली उस विभाग का अपना अलग शब्दभंडार । सभी पत्राचार के नमूने सिमित हैं जिसकी अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको कार्यालयीन प्रशासनिक हिंदी कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए । मगर उसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिल से हिंदी का डर निकालना होगा ।

यह गलत धारणा है कि अपने विभाग में किसी का रौब उसके अंग्रेजी ज्ञान के कारण पडता है । यदि कोई व्यक्ति गैर जिम्मेदार है और उसका कार्य अव्यवस्थित तथा घटिया किस्म का है तो वह कभी किसी दूसरें व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता । जो व्यक्ति अपने काम में निपुण हैं, उसकी धाक अन्य सभी पर रहती है । उसकी वह धाक हिंदी में काम करने पर भी बनी रहेगी । वास्तव में हिंदी में काम करने से उसके यश में और वृद्धि होगी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी । प्रशासनिक हिंदी के कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम एक दूसरे की ओर देखते रहे तो हिंदी में काम करने की शुरूआत कभी न हो पाएगी । हम अपनी ओर से पहल करें तो उससे दूसरे भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे और वातावरण बदलने में देर नहीं लगेगी ।

तो आओ चले आज हम यह संकल्प करें कि जब हम हमारा कार्यालयीन कार्य आज से राजभाषा हिंदी में ही करेंगे ।

◆

आपदा प्रबंधन की तैयारी

डॉ. रवि दिवाकर गिरहे
बैंक ऑफ इंडिया

देश-विदेश में आए दिन आनेवाली नैसर्गिक आपदाओं से तथा इससे होने वाली जनधन की हानि से हम सभी चिंतित है. हमारा देश भी इन्हीं त्रासदियों को झेल रहा है. एक के बाद एक आई आपदाओं से हम इस कदर आहत और क्षत-विक्षत हुए है कि हमें संभालने का अवसर ही नही मिल रहा है. गत दिनों में उत्तराखंड तथा जम्मू काश्मीर में हुई जनहानि की तबाही से हमारे रोंगटे खडे हो जाते है. 1993 में लातूर में आया भूकंप, 1999 का उडीसा का चक्रवात, भुज का भीषण भूकंप, सुनामी, मुंबई का जल प्लावन, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश की अप्रत्याशित वर्षा तथा बाढ़, बिहार में कोसी नदी के पथ परिवर्तन से हुआ प्रलय, आसाम में बाढ़ का प्रकोप, ऐसी अनेक घटनाएँ है जो नैसर्गिक आपदाओं की चरम सीमा कही जा सकती है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ तो अब सामान्य घटना हो चली है. इसके अतिरिक्त भोपाल गैस त्रासदी जिसे हम मानवनिर्मित आपदाएँ कह सकते है तथा देश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे आतंकी हमलों, नक्सलियों के हमलों को भी आपदाओं की श्रेणी में रख सकते है जिन्होंने हमारे देश को आहत किया है.

तात्पर्य आपदाएँ चाहे नैसर्गिक हो या मानवनिर्मित, दोनों से हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा है. ऐसी आपदा का प्रबंधन करना भी एक अतिआवश्यक कार्य हो गया है जिसे सरकार ही नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक को समझना होगा तथा आपदा प्रबंधन की तैयारी की शुरुआत घर से करनी होगी.

आपदा प्रबंधन की तैयारी से पहले हमें इसके विषय में सविस्तर जानना आवश्यक है.

आपदाओं का प्रकार :

आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होना. इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है.

1. प्राकृतिक आपदाएँ :

इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, त्सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा दावानल (जंगल में आग), बादलों का फटना आदि आपदाएँ आती हैं, यह ऐसी आपदाएँ है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें दैवी प्रकोप या प्राकृतिक आपदाएँ कहा जाता है. इसके साथ ही प्लेग, डेंगू, चिकनगुनियां, मलेरिया जैसे विभिन्न संक्रामक रोगों का महामारी के रूप में फैलना भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है.

२. मानवनिर्मित आपदाएँ

धर्म, जाति, संपद्राय, प्रांत और भाषा के नाम पर कुछ निहित स्वार्थ दहशत फैलाने के उद्देश्य से आंतकी हमले करती है, कभी नक्सलवाद के नाम से निष्पाप लोगों की जान ली जाती है, ऐसी आपदाएँ मानवनिर्मित आपदाएँ होती हैं. 26 नवंबर 2007 को हुई मुंबई हमले की घटना, छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा में नक्सली हमले इसी श्रेणी में आते है. युद्ध की विभिषिका, नाभिकीय विस्फोट और बमबारी, जैविक और रसायन युद्ध आदि भी मानवनिर्मित आपदाएँ है. फैक्टरीयों में संयंत्रो में लापरवाही या दोषपूर्ण रखरखाव के कारण

भी आपदाएँ होती रहती है जिन्हें पर्यावरणीय त्रासदी कहा जाता है.

हमें आपदाओं के उपरोक्त प्रकार के अनुसार आपदा प्रबंधन करना होगा जिसते जानमाल की हानि कम हो तथा हम सुरक्षित रह सके. अत: इन आपदाओं का सामना करने के लिए हमें यथासंभव तैयार रहना चाहिए. हमारे देश में आपदाओं से संबंध में यह अनुभव रहा है कि केवल आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुँचाना और उनका पुनर्वास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक और वैकासिक क्षति की भरपाई नहीं हो सकती. इसके बदले में हमें उन व्यवस्थाओं के विकास पर अपने प्रयास केंद्रित करने होंगे जिनसे ऐसी आपदाओं के प्रभावों का न्यूनतम किया जा सकता है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की तैयारी की शुरुवात हमारे घर से होनी चाहिए. अगर आपदाओं का प्रभाव कम करना है तो हमारे घर के सभी सदस्यों को आपदाओं की गंभीरता तथा उससे बचने के उपायों से भली भाँती परिचित होना चाहिए, इसके साथ ही दुसरे लोगों की जान किस प्रकार से बचाई जा सकती है इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए. अगर हमारे घर में आपदा प्रबंधन की तैयारी हो जाएगी तो निश्चित ही हमारा समाज, हमारे देश किसी भी आपदा से निपटने के लिए सक्षम हो जाएगा. हमारे लोगों को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने में आने वाली सभी संभावित घटनाओं के प्रति सजग और तैयार रहना होगा.

आपदा प्रबंधन की तैयारी की शुरुआत घर से हो

भारत में आपदा प्रबंधन की तैयारी की शुरुवात घर से होनी चाहिए इस बात पर किसी को ऐतराज नही हो सकता, लेकिन इसके लिए निम्नलिखित सामान्य बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

- आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्तर से शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए.
- परिवार के हर सदस्य को अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.
- आपदा के समय हडबड़ी न मचाते हुए शांति से अधिकृत स्त्रोतों के निर्देशों का पालन करना चाहिए. किसी भी अफवाह पर ध्यान नही देना चाहिए.
- परिवार के लिए आपातकालीन योजना बनाई जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवार के हर सदस्य को इस योजना की जानकारी हो.
- घर से निकलने के लिए दो रास्ते होने चाहिए. परिवार के सदस्य यह तय कर ले कि अगर बिछड गए तो वे कहां मिलेंगे.
- परिवार के हर सदस्य को आपातकालीन संपर्क नंबर जैसे-पुलिस,अस्पताल, एम्ब्युलंस, अग्निशमन सेवा, आतंक विरोधी दस्ते आदि के बारे में जानकारी हो तथा उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें मदद के लिए कैसे बुलाया जाता है.
- घर में एक आपातकालीन कीट हमेशा तैयार रखनी चाहिए. इसमें प्राथमिक चिकित्सा-सामग्री, सूखे मेवे जो जल्दी खराब न हो, पानी शुद्ध करने वाली टिकिया, चादरें, बच्चेबूढों की जरुरत की चीजें, चाकू सहित उपयोगी औजार, बैटरी, टार्च, स्क्रू ड्राईवर, रस्सी, गोंदवाले टेप और बैटरी पर चलने वाला रेडियो शामिल होने चाहिए.
- परिचय वाले कागजात, वित्तीय दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि के स्थान पर सुलभता से रखने चाहिए. इन सभी की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ किसी वैकल्पिक स्थान पर अथवा भरोसेमंद परिचित/संबंधी के पास रखने चाहिए.
- परिवार के वयस्क सदस्यों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और कृत्रिम श्वास देने के तथा फर्स्ट एड के लिए योग्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.
- परिवार के हर सदस्य को चौकस रहना चाहिए तथा देश या शहर में कोई अनहोनी घटना घटनेवाली हो तो पहले ही आपदा प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए.
- अपने क्षेत्र के सभी परिवारों में एकता के लिए प्रयास करने चाहिए जिससे सभी मिलकर आपदाओं का सामना कर सके.
- ज्यादा नर्वस या उत्साहित नही होना चाहिए जिससे राहत और बचाव कार्य में बाधा निर्माण हो.

अन्य आपदाओं के समय बचने के लिए महत्त्वपूर्ण बाते :

उपर हमनें आपदा प्रबंधन के लिए घर से होनी वाली तैयारी पर चर्चा की है, अब हम निम्नलिखित आपदाओं के समय घर से कैसे तैयारी करें इस पर चर्चा करेंगे.

भूकंप :

- अपने घर की इमारत की संरचना की योग्य जांच अधिकृत इंजिनिअर द्वारा जाँच कराए और संभव हो तो कमजोर भागों को

मजबूत कराएं.

- घर में बड़े फ्रेम वाले फोटो, आइने आदि ऊंचे स्थानों पर न टांगे.
- भूंकप आते ही शीघ्र घर से निकल भागें, ओट लें अथवा ज्यों का त्यों खड़े रहें. ज़मीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों पर सिर रख लें, सिर हाथों या तकिये से ढक लें.
- अगर आप घर से बाहर है अथवा चलती गाड़ी में हैं तो बिज़ली के तारों, भवन के बाहरी दिवारों, गली, बत्तियों और पेड़ों से दूर रहें.

बाढ़.

- बाढ़ से पनाह लेने के लिए ऊंची जगहों की पहचान करें.
- बाढ़ के पानी में घुसने का प्रयास न करें. पानी की गहराई को नाप ले.
- बिजली के तार गिरे हो तो उधर न जाएं.
- अपनी गैस और बिजली की सप्लाई बंद करे बिजली के उपकरणों का स्वीच बंद करें.
- बाढ़ के बाद होने वाले जल जनित रोगों से अपने आप को बचाएं

आग :

घर में अग्निशमन यंत्र का उपयोग करें तथा परिवार के सभी सदस्यों को इसके इस्तेमाल की जानकारी दें ।

- ज्वलनशील सामग्री सुरक्षित स्थानों पर रखें. संभव हो तो घर पर स्मोक डिटेक्टर लगाएँ.
- घर/इमारत में आग से बचने का रास्ता निश्चित करें.
- आग लगने पर अपने मुंह को भीगे तौलिये से ढकें. भागते समय रेंग कर निकले.
- अगर कपड़ो में आग लगें तो न भागते हुए जमीन पर लुढ़के.
- जले भाग को ठंडक पहुंचाए तथा प्राथमिक चिकित्सा करें.

इसके अतिरिक्त आंतकवादी घटनाओं से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि/वस्तु के प्रति चौकस रहें तथा इसकी सूचना पुलित को दें. मकान किराए से देते समय किराएदार की योग्य पूछताछ करें तथा पुलिस को किराएदार की जानकारी दे।

रासायनिक आपदा के समय सूचना व्यवस्था का योग्य पालन करें. यदि घर के अंदर हो तो खिडकी-दरवाजे बंद करे, सभी सुराखों को टेप/प्लास्टिक से बंद करें, एसी बंद करें, शरीर को ढ़के रहे. रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित सभी वस्तुओं को इस्तेमाल से पहले साफ करें.

कहते है हर अच्छे काम की शुरूवाद घर से होनी चाहिए. अगर हम आपदा प्रबंधन की शुरूवात हमारे घर से शुरू करते है तो निश्चित ही आपदा नैसर्गिक हो या मानव निर्मित हम सभी मिलकर उसका आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते है तथा जान-माल की हानि भी कम हो सकती है.

◆◆◆

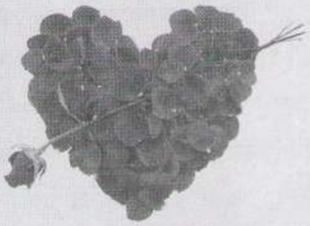

मोहब्बत

कहते है मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है,
मै जब भी तुझे देखता हु मुझे बार बार होती है
तु क्या जाने बैचैनी धडकते हुए दिल कि
ये तो बारीश है जो तेरे मुस्कुराने से हर बार होती है

कहते है जान सिर्फ एक बार जाती है
मै जब भी तुझे देखता हु मेरी बार बार जाती है
तु क्या जाने बैचेनी तडपते हुए दिल कि
ये पोरंजिश है, जो तेरी निगाहो से हर बार होती है

दिपेन जी रॉबर्ट
बैंक ऑफ इंडिया
आरोंदा शाखा

हिंदी पद्य में महाराष्ट्र का योगदान

प्रा. डॉ. शाहू दशरथ मधाळे
रत्नागिरी

हमारा भारत अनेकता में एकता का देश माना जाता हैं । यहाँ प्रत्येक प्रांत की अपनी एक भाषा है, एक संस्कृति, एक धर्म और एक अनोखी जीवनशैली दृष्टिगोचर होती है । अर्थात विविधता में एकता हमारी पहचान बन गई है । हिंदी हमारी संविधानिक मान्यताप्राप्त राष्ट्रभाषा है । वह स्वतंत्रपूर्व काल से संपर्क भाषा रही है और स्वतंत्रता के बाद राजभाषा और संचारभाषा बन गई है। तो वर्तमान युग में वह विश्वभाषा के रुप में अपने पैर जमा रही है । इसका सारा श्रेय भारत के विविध प्रांतो के जनमानस को जाता है । भारतीय प्रांतों के कवि साहित्यकार और राजा महाराजाओं का सक्रिय सहयोग हिंदी भाषा को मिलता रहा । यह सहयोग ही हिंदी भाषा की शक्ति है ।

भारत के हिंदी भाषी प्रांतो ने हिन्दी के विकास में सहयोग दिया । उनकी तुलना में अहिंदी भाषी प्रांतो का सहयोग भी कुछ कम नही आका जा सकता । अहिंदी प्रांतो में विशेषत: महाराष्ट्र और मराठी भाषा भाषियों का योगदान अनन्य साधारण है । महाराष्ट्र में मराठी भाषा ने प्राचीन काल से ही हिंदी को अपनी बडी बहेन के रुप में स्वीकार किया है । इसके अनेक उदाहरण महाराष्ट्र के राजा - महाराजाओंद्वारा दिए जा सकते है । महाराष्ट्र के अनेक राजाओं ने हिंदी को राजाश्रय दिया था । हिंदी के प्रति उनका व्यापक एवं दार दृष्टिकोन दिखाई देता है । डॉ. कृष्ण दिवाकर के शब्दों में

महाराष्ट्र के राजाओं ने व्यवहारिक धरातल पर इस तथ्य को मान लिया था की संस्कृत और प्राकृत भाषा के बाद जनव्यापी तथा सुलभ भाषा के रूप में हिंदी ही वह स्थान पा सकती है ।

विषेशत: महाराष्ट्र का जहा तक संबंध है, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पिता शहाजी भोसले के काल से राजाश्रय के संदर्भ मिलते है । शहाजी महाराज के दरबार में प्राकृत और हिंदी भाषाओं के अनेक कवि थे उनके सहयोग से शहाजी ने संस्कृत के प्रसिध्द ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने की योजना बनाई थी । उनके दरबार के सुकवि ने संस्कृत की प्रसिध्द पुस्तक **रसमंजिरी का साहिविलास** के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था । राजा शहाजी के दरबारी हिंदी कवियों में जयराम पिंडये 1605-1680 का विशिष्ट स्थान है । वे अनेक भाषाओं के जानकार माने जाते थे । शहाजी के दूसरा दरबारी कवि **चिंतामणि त्रिपाठी** थे उन्होंने **पिंगल** नामक ग्रंथ रचा जो छंदशास्त्र पर विवेचन करोवाला हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाने लगा ।

शहाजी राजा के पूत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि के रुप में हिंदी के प्रसिध्द रस प्रधान कवि भूषण (1640-1735) प्रसिद्ध कवि रह चुके है । वे शिवाजी महाराज के दरबार के 'कविकुलसचिव' थे । कवि भूषण के साथ ही छ. शिवाजी के आश्रित हिंदी कवियों में भी श्री गोविंद, जयराम, गौतम, मतिराम आदि उल्लेखनिय है । इतनाही नही तो शिवाजी के पुत्र राजा संभाजी को भी साहित्य के प्रति प्रेम था । उनके दरबार के हिंदी कवियों में भूषन, निरंजन, माधव, भावसिंग आदि नाम उल्लेखनिय है ।

भारतीय भाषाओं में हिंदी की सबसे नजदिकी भाषा और प्रांत अगर कोई है तो वह नि:संदेह मराठी और महाराष्ट्र है । मराठी और हिंदी दोनो भाषाओं की लिपि एकसमान है । देवनागरी लिपी भाषाविज्ञान की दृष्टी से दोनो भाषाओं में पर्याप्त समानता है । महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और साहित्य का संबंध लगभग 1000 साल पहले का है । हिंदी के पूर्व इतिहास में भारत के धर्म, संस्कृती, समाज, साहित्य, राजनिति और अर्थनिती की अंर्तधाराओ से होकर हमारे सामने वर्तमान नये रूप में भर कर आयी है ।

महाराष्ट्र और मराठी भाषा की यह विशेषता रही है कि वह सदैव देश की मुख्य धारा से जूड़ी रही है चाहे वह क्षेत्र साहित्य, कला, संस्कृति, अर्थ, कृषि या राजनिती का हो, महाराष्ट्र भारत का हृदयस्थल रहा है । इतना ही नही तो भारतीय साहित्य, संस्कृती और दर्शन की समन्वित अनुभूति एवं विचार चिंतन का मुख्य केंद्र रहा है । अत: महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी है । हिंदी भाषा और साहित्य के उद्‌भव और विकास से लेकर उसके प्रचार प्रसार में महाराष्ट्र का योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता है । आज जो हिंदी का आदर्श और राष्ट्रीय सार्वत्रिकी रूप बना है उसमें अनेक

महानुभावो का सहयोग एवं सक्रिय सहयोग रहा है । किंतु इसके प्रारंभिक काल से ही महाराष्ट्र का विशेष योगदान रहा है । राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके साहित्य के विकास में भी महाराष्ट्र का बहुमोल योगदान रहा है ।

सामाजिक, धार्मिक और अध्यात्मिक आंदोलनो में महाराष्ट्र का संतसाहित्य का योगदान उल्लेखनीय है । महाराष्ट्र में सबसे प्राचीन हिंदी भाषा महानुभाव संप्रदाय के प्रर्वतक **महात्मा चक्रधर** की वाणी में मिलती है । इनका समय सन 1194 से 1273 है । चक्रधर स्वामी जन्म से भले ही गुजराती हों पर महाराष्ट्र को आपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाकर देश भ्रमण किया था । चक्रधर की शिष्या **महदायिसा** की हिंदी रचााएँ उपलब्ध है और उनकी हिंदी परिष्कृत मानी जाती है । उनका यह पद प्रसिद्ध ही है – ''नगर द्वार हों भिच्छा करों हो, बापुरे मोरी अवस्थालो ।

जिहॉ जावो तिहॉ आप सरिसा कोड न करी मोरी चिंता लों ।
हाट चौहाट पड रहूँ हों माँग पंच घर भिच्छा
बापुड लोक मोरी अवस्था कोड न करी मोरी चिंता लो ।''

महानुभावी संप्रदाय के एक और संत **दामोदी पण्डित** थे । जिनकी साहित्य, संगीत कला और दर्शा में अच्छी पकड़ थी । इनकी हिंदी की चौपदियॉ सुप्रसिध्द है ।

महाराष्ट्रीय संतो में ज्ञानेश्वर का नाम गौरव से लिया जाता है, आप के भी हिंदी पद मिलते है । ज्ञानेश्वर ने नामदेव के साथ उत्तर भारत की यात्रा की थी । भले ही संत ज्ञानेश्वर के एक या दो पद ही हिंदी में मिलते हों, किंतू ''सब घट देखो माणिक मौला, कैसे कहुँ मैं काला धबला'' कहकर सभी के अन्त:करण में 'ईश्वर' रहता है, से रंग रूप लगाना उचित नही यह प्रगल्भ विचार व्यक्त किया है । संत ज्ञानेश्वर ने सामाजिक एकता का पुरस्कार किया और जाँति-पाँति रहित समाज की कामना की ।

निर्गुणमार्गी भक्ति धारा के मुल स्त्रोत संत **श्री नामदेव** का जीवन तो अनंत विजय-यात्रा ही रही है । **''संत नामदेव की हिंदी पदावली''** (डॉ. भगीरथ मिश्र - डॉ. राजनारायण मौर्य 1964) ग्रंथ ही नामदेव की हिंदी पदावली का द्योतक है । नामदेव को संत - ज्ञानेश्वर का अपार स्नेह मिला और गुरु **विसोबा खेचर** की कृपा से वे अंतर्बाह्य बदल गये । नामदेव से ही सिक्ख गुरु - नानकजी ने, महात्मा कबीरदासजी ने प्रेरणा प्राप्त की और विचार चिंता को आगे बढ़ाया । महाराष्ट्र में संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, विठोबा, बहिणाबाई आदि संतो ने महनीय सामाजिक कार्य भी किया है । कर्मकाण्ड को अस्वीकार कर उन्होंने बाह्याचार, अंध:विश्वास का खंडा किया है । नाम सुमिरन को महत्ता देकर परमात्मा के निकट पहुँचने का मार्ग बतलाया है । नामस्मरण को अनन्य साधारण महत्त्व देकर वे कहते है –

''सार तुम्हारा नाम है, झूठा सब संसार ।
मासा वाचा क्रमना कलि केबल नाम-अधार।।''

राम नाम की महिमा व्यक्त करनेवाले अनेक पद संत नामदेव ने लिखे है –

उनकी सहजसाधना का प्रसिध्द पद जो **श्री गुरु ग्रंथसाहिब** में समाविष्ट किया गया है जो अत्यंत विचारणीय और अनुकरणीय है –

''मन मेरे गजु जिव्हा मेरी काती ।
मपि मपि कारउ जम की फासी ।।''
कहा करउ जाति कहा करउ पाती ।
राम को नामु जपउ दिन राती ।।
रांगीन रांगड सीवनि सीव ।
रामनामु बिनु धरीअन जीवउ ।।
भगति कर हरि के गुन गावउ ।
आठ पहर अपना खसमु धिआवउ ।।
सुईने की सुई रुपे का धागा ।
नामे का चितु हरि सउ लागा ।''

महाराष्ट्र में हिंदी के माध्यम से संत नामदेव ने **गुरू गोरक्षनाथ** के विचार भी ग्रहण किये थे और उत्तर में जाकर तो उन्होंने परमार्थ का प्रबोधन कर हिंदी संत साहित्य के आदि गुरु सिध्द हुए है । महाराष्ट्र के परम आदरणीय संत तथा भक्त कवि एकनाथ (सन 1533-1599) ने भी अनेक हिंदी पद रचे है । एकनाथ द्वारा भारुड से संबधित पदों में कबीर, दादू,रोहिदास की वाणियों का समावेश है । इसे हम भारतीय संत महात्म एकता की कडी कह सकते है।

महाराष्ट्र संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने भी हिंदी में पद रचे है और ये पद समाज सापेक्ष और लोकप्रिय है जैसे –

''चीत मिले तो सब मिले, नहीं तो फोकट संग ।

पानी पाथर येक ही ठोर कोर न भीगे अंग ।।''

संत तुकाराम की हिंदी रचनाएँ बडी भावपूर्ण है । **तुकाराम गाथा** में 50 हिंदी पद भी मिलते है । संत तुकाराम का काव्य अपनी स्पष्टता, सुबोधता और अनूठे भाव के साथ भक्ति-भंडार का अमोल खजाना है । जाति-पाति रहित मानव को मानव कहकर तुकाराम कहते है ।

''जातनसुं मुझे कुछ नई प्यार ।
असते के नही हिंदू धेड चमार ।।''
''अधिक जाति-कुल नहिं जानूँ ।
जाने नारायण सो प्राणि मानूँ ।।''

यहाँ हमें समझ लेना होगा कि क्या तुकाराम और क्या कबीर इनकी हिंदी भावाभिव्यक्ति का माध्यम मात्र भिन्न है । तुकाराम की गाथा में हिंदी पद भले ही कम हों, किन्तु जो है उनका भाव-सौन्दर्य अनूठा हैं तुकाराम की हिंदी भी सहज, सुबोध और भाववाहिनी है, जो सगर्पक और सार्थक लगती है।

श्री समर्थ रामदास के हिंदी पद केवल सौ तक उपलब्ध है और यह हिंदी कविता अधिकतर प्राचीन मराठी हस्तलिखितों में मिली है । धुलिया के समर्थ वारदेवता मंदिर में कुछ पद मिलते है । **श्री समर्थ रामदास** महाराष्ट्र के अद्‌भूत प्रतिभा संपन्न संत पुरुष है । इस युगदृष्टा साधु ने राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाया है । रामदास के सामने क्या हिंदू, क्या मुसलमान दोनों समान रहे है । उन्होंने दोनों के दोषों का कथन कर आपने परमार्थ की बात कही है ।

घट घट साहिया रे ।
अजब आत्मामिया रे
ये हिन्दू मुसलमान, दोनों चलावे, पछाने सो भावे ।।
सुरिजन हारा बड़ा करता है,
कोई एक जाने पार ।।
अवाद अखैर समझ दिवाने,
अकलमन्द पछाने ।।
गरीबन काज बडा धनी है,
बंदे कमीन कमीन ।।

(आखिर, गरीब, बंदा, कमीना जैसे फारसी शब्दों का प्रयोग समर्थ रामदास ने किया है ।)

नासिक जिले के बागलाण भाग में (मुल्हेर) राजा प्रतापशाह के पुरोहित **''जनी-जसबंत''** (1608) की हिंदी रचना शुध्द, प्रवाही और मधुर है । जसबंत राम और कृष्ण को एकही मानते थे-उनकी जो कविता उपलब्ध है, वह अल्प प्रमाण में होनेपर भी शास्त्रीय राग-रागिनियों से युक्त है और उनके पदों की सरलता एवं सरसता उल्लेखनीय है ।

नाथ-संप्रदाय के **शिबदिन नाथ** (शिवदिन केसरी) (1698-1754) सावंतवाडी नजदीक बांदा गाँव के सोहिरोबानाथ आंबिर (जन्म 1714) सूरजी अंजनगांव के **देवनाथ** (1754-1821) इनकी हिंदी सेवा उल्लेखनिय है तथा उनके पद स्मरणीय हैं ।

अठरावीं शती में महाराष्ट्रीय संतो में दौलताबाद के **मानपूरी** (मृत्यु 1830) **ठाकुरबाबा** (मृत्यु सन 1830), **निरंजन रघूनाथ** (1782-1855) और **बालकराम** की हिंदी कविता उपलब्ध हैं ।

महाराष्ट्रीय संतो की हिंदी-काव्य रचना की परम्परा में आधुनिक युग के विदर्भ के प्रसिध्द संत **प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज** (जन्म 6 जुलै 1881) का नाम उल्लेखनिय है । हिंदी में दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छदों में आपो काव्य-रचना की है । ''स्तमतन्यास सिध्दांत'' आपने ग्रंथ हिंदी में लिखा । आपकी कृष्ण पंचपदी और गुरूपंचपदी में भी हिंदी पद उपलब्ध है ।

संत तुकडोजी (जन्म 1910) के अनेक हिन्दी भजन और पद मिलते है । उनका प्रसिद्ध पद दुष्टव्य है -

''दिन जमाने खूब बदले, रूह बदला ही नहीं ।
भोग बदले लोग बदले, कर्म बदले धर्म के ।
युग चारों फेर बदले, रूह बदला ही नही ।
उग्र बदले, राजा बदले, काज बदले संग से ।
मौत के दौर भी बदले, रुह बदला ही नहीं ।''

सारांश में संत-ज्ञानेश्वर से गुलाब महाराज तक महाराष्ट्र के संतो ने हिंदी को अपनाकर से भारत की भारती माना है । इससे महाराष्ट्र के संतो की उदार दृष्टि ही सिद्ध होती है ।

साहित्य के साथ-साथ पत्रकारिता में, राष्ट्रीय आंदोलनों में, रंगमंचीय नाटक हिंदी गीत-संगीत आदि का योगदान भी महाराष्ट्र का अनन्यसाधारण है । हिंद केसरी का प्रकाशन साल 1903 में प्रारंभ हुआ । संपादक **माधवराव सप्रे** नियुक्त हुए यह हिंदी पत्र 1920 तक नागपूर से प्रकाशित होता था । **लो. तिलक** और उनकी पत्रकारिता

ने हिंदी के महत्व को पहचान लिया इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न में सदैव अड़िग रहे । इतना ही नही तो **गोविंद शास्त्री, बाबुराव पराडकर** तो हिंदी पत्रकारिता के पितामह भिष्म माने जाते है ।

हिंदी फिल्म के क्षेत्र में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है । मुंबई का **पारसी थिएटर** हिंदी का पहला रंगमच और **पृथ्वी थिएटर** हिंदी का पहला स्टुडिओ महाराष्ट्र में ही बना । हिंदी फिल्म के जनक **दादासाहेब फालके** और हिंदी के प्रसिध्द निर्माता निर्देशक **वी शांताराम** आदि ने अनेक लोकप्रिय फिल्म बनाए । इसके साथ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा (1936) की स्थापना **म. गांधी** और **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन** की प्रेरणा से हुई । उसी प्रकार महाराष्ट्र राजभाषा सभा पुणे की स्थापना सन 1937 में हुई । इन संस्थाओं ने हिंदी भाषा प्रचार प्रसार में बहुमोल योगदान दिया ।

संक्षेप में पिछले आठ सौ सालो से हिंदी के प्रति अति अदार दृष्टिकोण रखनेवाले महाराष्ट्र राजभाषा नीति के अनुसार आदेश का अनुपालन करनेवाला पहला राज्य है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महाराष्ट्र ने साहित्य कला संस्कृति, मनोरंजन शोध अनुसंधान के क्षेत्र में ओक भूमिका निभाई है । हिंदी साहित्य को एक नया साहित्यिक प्रकार दलित साहित्य के रूप मे प्रस्थापित किया । इसप्रकार महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार अन्य अहिंदी प्रांतो की तुलना में अधिक रहा है ।

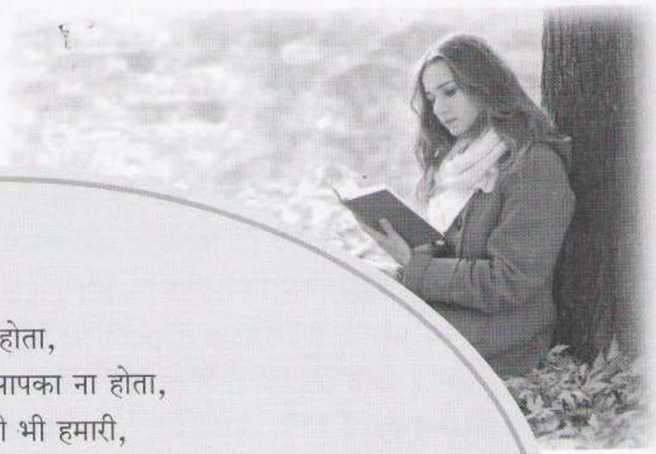

अंदाज

अंदाज हमारा शायराना ना होता,
अगर उस पल दिदार हमें आपका ना होता,
महक जाती बाग-ए-जिंदगी भी हमारी,
अगर साथ उसमें आपका जो होता ।

पहचान हमारी शराबी ना होती,
अगर निगाहे नशिली इतनी आपकी ना होती ।
हो जाते ख्वाब मुकम्मल सारे हमारे,
अगर बाहों में हमारे बाहें आपकी जो होती ।

– दिपेन जी. राबर्ट
बैंक ऑफ इंडिया
आरोंदा शाखा

राजभाषा रत्नसिंधु

राजभाषा रत्नसिंधु अर्ध वार्षिक हिंदी पत्रिका का विमोचन

उपस्थित सदस्य कार्यालय प्रमुख

प्रार्थना

स्वागत

पिछली बैठक की झलकियां...

अध्यक्षीय संबोधन...

उपनिदेशक का मार्गदर्शन

उपस्थित सदस्य कार्यालय प्रमुखों का मनोगत

उपस्थित सदस्य कार्यालय प्रमुखों का मनोगत

हिंदी दिवस
14 सितंबर 2015
पुरस्कार वितरण

हिंदी दिवस
14 सितंबर 2015
पुरस्कार वितरण

छोटी-छोटी बातों से बनता जीवन

प्रिया पोकले
कोकण रेलवे

हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है । इस जीवन रूपी उद्यान को सुगंध से परिपूर्ण बनाने के लिए तथा स्वयं को भी संतुष्ट रखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी अति आवश्यक है । यदि इन बातों को हम सदैव ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें सही मायनों में आत्मिक शान्ति का सुख प्राप्त हो सकेगा । कभी भी किसी से कुछ पाने की आशा न करें । क्योंकि यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से की गई आपकी अपेक्षाएं हमेशा पूरी ही हों । आशा के विपरीत होने पर हो सकता है कि आपका मन दु:ख पाये । इसलिए कोई अपेक्षा ही क्यों रखी जाए ।

सदैव धीरज से काम लें, क्योंकि रास्ते लम्बे होते हैं, लेकिन अंतहीन नहीं । कोई भी कदम उठाने से पहले सोच-विचार लें ।

क्रोध को अपने वश में रखें, क्योंकि क्रोध मूर्खता से आरंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है ।

मानव मन की एक बहुत बडी कामना होती है कि, वह दूसरों के हृदय पर अपना प्रभाव जमाए । ज्ञान अर्जित करने की कोई आयु-सीमा नहीं और ज्ञान अनन्त है । अत: जहां से भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करने में न चूकें ।

सदैव याद रखें कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर । इन शब्दों को ध्यान में रखकर शेक्सपियर ने कहा था, संक्षेप बुद्धिमत्ता की आत्मा है । आवश्यक से अधिक बातें सुनने हेतु अपने को दृढ रखें । वार्तालाप जितना लम्बा होगा, उसका प्रभाव उतना ही कम होगा ।

आत्मप्रशंसा करने की भूल न करें । इससे आप दूसरे पर प्रभाव नहीं जमा सकते, उसे स्वयं ही पता है कि कौन-सा सीधा, सरल व्यक्तित्व कितना गुणी है । उसे आपके बारे में स्वयं अनुमान लगाने दें । यह तरीका दूसरों पर अपनी महत्ता प्रदर्शित करने में प्रभावशाली होता है कि आपके कर्म बोलें ।

परनिंदा या आलोचना न करें, दुसरों के दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है । ये आदतें उन्नति में बाधक सिद्ध होती है ।

ईर्ष्या मनुष्य को उसी तरह खाती है जैसे दीमक लकडी को धीरे-धीरे कुतरता है । दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करें, दु:ख में सहानुभूति दें ।

प्रेम जीवन की समस्त कठिनाइयों तथा समस्याओं को आत्मसात कर लेता है । सदैव स्वस्थ रहने के लिये तथा सही मायनों में खुश रहने के लिए प्रयास करें ।

हमेशा आत्मविश्वासी रहें । आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है । हमेशा आत्मविश्वास ही काम आता है ।

दुसरों के हित में अपना हित देखें । किसी के दु:ख में काम आने के लिए अपने सुख का त्याग कर दें । यही सच्ची सेवा है । दूसरों की सेवा करें, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर निवास करता है । इन्ही छोटी-छोटी बातों को जीवन में सिद्धांतों की तरह सहेज लेने से हमारा जीवन खुशहाल होता है । मानसिक तनावों से जर्जर होता आज का मनुष्य संतोष और आनंद से विभोर हो, शान्ति का एहसास करता है । क्योंकि इन छोटी-छोटी बातों को अमल में लाकर वह अपनी जीवन बगिया के आसपास कटुता, ईर्ष्या, घृणा आदि के कांटे निकाल कर वातावरण को सुखद बना लेता है । इस छोटे-से जीवन में एक संकल्प लें कि हमारी वजह से और कोई परेशान न हो, बल्कि आपकी छोटी-छोटी बातों से सामनेवाले को खुशी मिले, जिसकी वजह से हमारे न रहते हुए भी हमें याद किया जा सके ।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतन्त्रता सेनानी थे । इन्हें आदर से **"लोकमान्य"** (पूरे संसार में सम्मानित) कहा जाता है । तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के चिखली गाँव में श्री. गंगाधर रामचंद्र तिलक के घर में हुआ था । पाठशाला में मेधावी छात्रों में बाल गंगाधर तिलक की गिनती होती थी । वे पढने के साथ-साथ प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम भी करते थे । सन् 1879 में उन्होंने बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की । बचपन से ही देशप्रेम की भावना उनमें कूटकूट कर भरी थी ।

उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षक संस्था के संस्थापक के रूप में आरम्भ हुआ । अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है । शिक्षा को समाज कल्याण का एक अहम हिस्सा मानने वाले तिलक ने डेक्कन एज्युकेशन सोसाइटी का गठण पुणे में किया जिसके सदस्यों का मुख्य कार्य शिक्षा को फैलाना था ।

लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में वर्ष 1894 में गणेश उत्सव तथा वर्ष 1895 से शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया तथा इन्हें सामाजिक त्योहार घोषित किया गया । इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देशप्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया । तिलक ने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किये । वे बाल विवाह के विरुद्ध थे । उन्होंने हिन्दी को सम्पूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया । भारतीय संस्कृति, परम्परा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई । **'केसरी'** और **'मराठा'** जैसे समाचार पत्र उनकी आवाज के पर्याय बन गए ।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लिए जिन महान हस्तियों ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया है उनमें लोकमान्य तिलक सर्वोपरि थे और उन्होंने लाला लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल के साथ मिलकर भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का कार्य किया और अत: भारतीय इतिहास में इन तीनों को **लाल-बाल-पाल** के नाम से जाना जाने लगा । इनका यह कथन कि **"स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा"** बहुत प्रसिद्ध हुआ । जिससे स्वराज्य के प्रति आम लोगों में नवचेतना का संचार हुआ । उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को तुरंत पूर्ण स्वराज्य देने की मांग की, जिसके फलस्वरूप और केसरी में छपनें वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया ।

एक नेता होने के साथ वे एक प्रखर लेखक भी थे । तिलक ने यूँ तो अनेक पुस्तकें लिखीं किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या को लेकर मंडाले जेल में लिखी गयी **गीता-रहस्य** सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है । बाल गंगाधर तिलक को मरणोपरान्त श्रद्धांजली देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रान्ति का जनक बतलाया ।

साठोत्तरी हिन्दी कविता में साम्प्रदायिक विमर्श

प्रा. डॉ. चित्रा मिलिंद गोस्वामी
रत्नागिरी

भारत को स्वतत्रता मिले आज सत्तर साल हो गये, लेकिन अतीत की यादें अब भी ताजा हैं, दिलों-दिमाग पर । भारत सर्वधर्म तथा जाति निहाय देश है। अनेकता में एकता जहाँ राज करती थी । भाईचारा इस देश की विशेषता थी । लेकिन परकिय आक्रमणकारीयों ने जैसे भारत देश को चिर डाला । भारतीय जनता की नब्ज को छुआ । तत्त्वों से, नियमों से विरुद्ध जीनेवाले हिन्दु-मुस्लिम धर्म में फूट डालना और लड़ाई-झगड़े करवाना शुरु किया। जैसे ही फुटीरताने जड़े पकड़ी भारत देश ककडी की तरह हो गया-बाहर से गोल और अंदर से फाकें । इसका फायदा बाहर के लोगों ने उठाना शुरु किया । स्वतन्त्रता के बाद तो हमारे नेताओं ने अपनी स्वार्थांधता के लिए धर्म का उपयोग किया । शत्रुता बढ़ती गयी और सांप्रदायिकता विमर्श का विषय बनकर रह गया।

साठोत्तरी कवियों के दिमाग में स्वतन्त्रतापूर्व तथा स्वातन्त्रोत्तर काल ने घर कर लिया था। सांप्रदायिक फूटीरता ने देश को खोखला किया और कवियों के हृदय फूट पड़े । कवियोंद्वारा शब्दों का माध्यम बनकर सांप्रदायिकता बह निकली और आज हम समसामायिक परिस्थिति को जान रहे हैं । संशोधन कार्य में डॉ. प्रमोद पाण्डेय जीने भले ही इस विषय को उठाया है लेकिन वर्तमान समय तक पहुँचना भूल गये हैं । इसी कारण मेरे लेखन का विषय कविताओं में चित्रित सांप्रदायकिता का विमर्श है। ताकि अपने देश को फिर एक बार परकीय आक्रमण से बचाना और स्वतन्त्रता को अबाध रखना है। हो रहे दंगे-फसाद, लड़ाई-झगडों को मिटाना है । अतीत के भारत को बाहर से और अंदर से एक तथा मजबूत बनाना है।

साम्प्रदायिक विमर्श :

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनायी, जिससे हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। आजादी मिलने के बाद भी वही दशा बनी हुई है। जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे किसी-न किसी रुप में देखने को मिलते है। उस समय कवि अपनी कविताओं के माध्यम से इस बात को उजागर करते रहे। साठोत्तरी कविता में साम्प्रदायिक विमर्श की चर्चा हुई है। इसपर अपनी विवेचना प्रस्तुत करते हुए डॉ. अजय तिवारी ने लिखा है कि आजादी के बाद जब बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे आयोजित हुए, तो शिवमंगल सिंह सुमन ने अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा-भाई की गरदन पर/ भाई का तन गयी दुधारा/सब झगड़े की जड़ है पुरखों के घर का बँटवारा/ एक अकड़कर कहता..../ अपने मन का हक ले लेंगे/ और दूसरा कहता / तिल भर भूमि न बँटने देंगे/ पंच बना बैठा है घर में फूट डालनेवाला/ मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला । यह कविता हिन्दू-मुस्लिम दंगों के मूल कारण को इंगित करती है, आजादी के चरित्र को उद्घाटित करती है और आजादी के नेताओं की भूमिका पर व्यंग्य करती है। यह ऐसी आजादी थी कि अंग्रेज यहाँ से जाकर भी यहाँ के भाग्यविधाता बने रहे, हम आजाद होकर भी अंग्रेजी-साम्राज्य के अधीन बने रहे। आजादी की विडम्बना पर व्यंग्य करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा ने १९५१ में लिखा, भारत में अहिंसात्मक क्रान्ति हुए चार साल हो गये-क्रान्ति से पहले गद्दी पाना इस क्रान्ति की अहिंसात्मक विशेषता थी । यह क्रान्ति अंग्रेज साम्राज्य वादियों की पूरी रजामन्दी से हुई।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि साठोत्तरी कविता में साम्प्रदायिक विमर्श यह हिन्दू-मुस्लिम के बीच उत्पन्न तनाव पर आधारित है। जिसे साठोत्तरी कवियों ने अपने-अपने मतानुसार प्रस्तुत किया है।

इसी दौर की कविताओं में उपलब्ध हिन्दू-मुस्लिम के बीच हुए दंगो से उत्पन्न साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लेखन अनेक कवियों ने किया है। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हुए लेखन पर विचार करते हुए डॉ. नरेंद्र सिंह ने लिखा है कि साम्प्रदायिक दंगे इस देश के लिए शर्म से डूब मरने-जैसी बात होनी चाहिए, लेकिन बेशर्म राजनीति भला ऐसा क्यों होने दे! कैसी होगी उनकी चाँदी, गर दंगे ही न होंगे इस मुल्क में ! कैसे चलेगी लीडरी उनकी जब चारों तरफ खून की बारिस न हो। कैसे फलेगी फसल खुदगर्जी की!और इन घृणित राजनीतिक ताने-बाने में कटता-मरता है आम आदमी, जनसाधारण :

आओ भाई बेचू आओ
आओ भाई अशरफ आओ
मिल जुल करके छुरा चलाओ
आपस में कट कर मर जाओ

इस बार दंगा बहुत बड़ा था
खूब हुई थी खून की बारिश
अगले काल अच्छी होगी
फसल, मतदान की।

आज हिन्दू और मुसलमान के बीच दुश्मनी की खाई इस कदर बढ़ी है कि उन्होंने एक दुसरे पर विश्वास करना ही बन्द कर दिया है। इसी को लक्ष्य करके नागार्जुन ने लिखा कि,

इतने में
एक और युवक
इन कानों में
फुसफुसा के कह गया
खबरदार यह मुसलमान है
इसके रिक्शे पर
कभी न बैठना आप।

साम्प्रदायिक द्रेष दिनों-दिन इस भयावने अन्दाज में बढ़ रहा है कि इससे हर जागरुक नागरिक चिन्तित है, लेकिन मौजूदा सरकार अपने बेटों की राजनीति में मस्त है। साठोत्तरी कविता-लेखन के समय साप्रदायिक दंगे तथा आपसी मतभेद चरमसीमा पर थे, जिसके कारण कवियों ने उसे अपने शब्दों में बाँधकर कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया।

जाति और धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक दंगे करवाना तथा आपसी मतभेद को बढ़ावा देना, यह उन दिनों काफी हद तक प्रसारित हुआ। भाषा एवं धर्म को अपना मुद्दा बनाकर लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य बड़ी तीव्र गति से होता रहा, इस विषय पर अपनी विवेचना प्रस्तुत करते हुए डॉ. ए. अरविन्दाक्षन ने लिखा है कि जाति और धर्म ने हमारी सामाजिक आकांक्षाओं को बिखेर दिया है। ह बिखराव समाज में रहा, क्योंकि अधिकार-ग्रस्त स्थान व भाषा ने धार्मिक निजता पर कालिख पोत दी और जातिवाद का झण्डा फहराया। आधुनिक समाज इसके विरुद्ध एक कार्रवाई अपना नहीं पा रहा है। हमारी सामाजिक अवस्था की इस जड़ता के विरुद्ध कुमार विकल का प्रतिपक्षीय स्वर इसप्रकार ध्वनित होता है-

यह जो सड़क पर खून बह रहा है
इसे सूँघकर देखो
और पहचानने की कोशिश करो
यह हिन्दू का है या मुसलमान का
किसी सिख का या ईसाई का
किसी बहन का या भाई का
सड़क पर इधर-उधर पड़े
पत्थरों के बीच में दबे
टिफिन कैरियर से
जो रोटी की गन्ध आ रही है
वह किस जाति की है?
क्या तुम मुझे यह बता सकते हो?
इन रक्त सने कपड़ों, फटे जूतों,
टूटी साइकिलों
किताबों और खिलौनों की कौम क्या है?

कवि ही उत्तर देता है कि यह खून आदमी का है। पहचान शीर्षक कुमार विकल की यह कविता (यह ऐसा समय है-संकलन) वास्तविक पहचान की है। इस कविता की बुनावट सरल है। लेकिन हमें यह आहत करती है। न लौटने वाले बच्चों, उनकी टूटी चप्पलों, साइकिल चलाते मामूली व्यक्तियों के बीच कविता गुजरती नज़र आती है। उनकी पीड़ादायक जिन्दगी की आड़ में भेड़िये के समान जाति और धर्म की रुढ़ियाँ अपनी सुर्ख आँखों से हमेशा खड़ी रहती हैं। आँसुओ के धर्म और जाति का मर्म अभी तक पूरी स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं किया गया। कुमार विकल की समकालीन दृष्टि वस्तुत: उसे परिभाषित करने की कोशिश की है।

साम्प्रदायिक विमर्श जाति, धर्म और भाषा पर लोगों में एक-दुसरे के प्रति नफरत पैदा करता है। इसी बात को साठोत्तरी कवियों ने अपनी कविता में रूपांतरित किया है।

इसी क्रम में साम्प्रदायिकता के बारे में अपनी विवेचना प्रस्तुत करते हुए डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय ने लिखा है कि स्वाधीनता-प्राप्ति के समय साम्प्रदायिकता सबसे प्रमुख राष्ट्रीय समस्या बन गयी थी। समूचा देश विभाजित मनोवृत्ति का शिकार हो रहा था। अप्रैल, 1946 में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की बर्बर रक्तस्नात विभीषिका से व्यग्र होकर शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा कि-मेरा देश जल रहा है, कोई नहीं बुझाने वाला। इस कविता में गाँधी या नेहरु को नहीं याद किया गया है। इसके विपरित कवि क्रान्तिकारियों के बलिदान के बारे में सोचता है कि क्या उनकी कुर्बानी इसी दिन के लिए थी? उनका अमूल्य बलिदान इसी व्यर्थ के रक्तपात के लिए था? यथा:-

भगतसिंह, अशफाक
लाल मोहन, गणेश बलिदानी
सोच रहे होंगे सबकी

व्यर्थ गयी कुर्बानी।।

यह वह समय था, जब भाई की गरदन पर भाई का ही दुधारा तन गया था। रक्त की पिपासा अन्तिम दानवता को पहुँच गयी थी। अहिंसा एवं बन्धुत्व-जैसे मूल्य लहूलुहान थे। आखिर वह फूट डालने वाली साम्राज्यवादी ताकत ही पंच बन बैठी थी। ये पंक्तियाँ आज भी कितनी अर्थपूर्ण हैं-

भाई की गर्दन पर
भाई का तन गया दुधारा
सब झगड़े की जड़ है
पुरखों के घर का बँटवारा
पंच बना बैठा है घर में फूट डालनेवाला।

प्रस्तुत पंक्तियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज साम्प्रदायिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर है और तथाकथित क्षुद्रकथित क्षुद्रमना कट्टरपन्थियों के अन्दर उठापठक चल रही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले इस देश में हिन्दू और मुस्लिम के बीच जो साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे, आजादी मिलने के बाद आज भी वही साम्प्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं । जिसकी अभिव्यक्ति कवियों ने समय-समय पर अपनी रचनाओं के माध्यम से की है।

इस प्रकार सांप्रदायिक विमर्श को लेकर लिखि गई कविताओं द्वारा कवि समाज तक पहुँचना चाहता है। पाठक पढ़े-लिखे और समझदार हैं । ऐसे समय में भारत की मजबूती से कसकर सुरक्षा देना महत्त्वपूर्ण है। कहीं यह स्वातंत्र्य कागजों पर इतिहास बनकर न रह जाये, बल्कि सुजलाम् सुफलाम् देश में पवित्र नदियों की धाराओं के साथ बहे, सागर की गाजों मे संगीत भरे और आकाश को छूनेवाली उँचाई पर लहराए।

◆

मेहनत का फल

मेहनत कर, पौधों को पानी दे,
बंजर जमीन से भी, फल निकलेगा ।
जिंदा रख, दिल में उम्मीदों कों,
पत्थर से भी, सुंदर शिल्प निकलेगा ।
कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की,
जो है थमा थमा सा, ओ चल निकलेगा ।
कोशिश जारी रख, और बहा दे पसीना,
सुंदर सुदृढ शरीर, तेरा बनेगा ।
मेहनत से इश्क कर, मेहनत से इश्क कर,
पहाड से भी, रास्ता निकलेगा ।
कोशिश कर, हल निकलेगा,
आज नही तो कल निकलेगा, कोशिश कर ।

- रमेश मुसळे
आकाशवाणी

मन की बात

पहाडों के टुक पर
बन गई मन की बात ।
वादे इरादे पक्के हुए
मिल गये दोनों के हाथ ।।
झोंक दिया प्यार में
अंधे होकर चलने लगे ।
रासते के गड्डे पत्थर
काँटे को भी पार करे ।।
पहाडों के टूक पर
हवा का झोंका जोर से लगा ।
छुट गये दोनों के हाथ
पलमें रासते बदल गये ।।
रासते कभी जुडे नही
वादे इरादे टूट गये ।
बीत गये दिन बीत गये
रहे अधुरी मन की बात ।।

- पी. जी. डोंगरे
आकाशवाणी

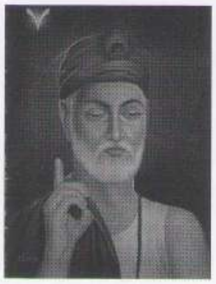

कबीर : एक समाज सुधारक

प्रा. कृष्णात खांडेकर
रत्नागिरी

साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को अनन्यसाधारण महत्त्व है और भक्तिकाल में संतकाव्य ने अपनी अलग सी गहरी छाप छोड़ी है। इस संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर रहे है। महात्मा कबीर एक निम्न वर्ग में पैदा हुए और पले थे लेकिन उनकी वाणी में ब्रह्मत्व व्याप्त था। उन्हें औपचारिक शिक्षा की सुविधा नहीं मिली थी । परंतु उन्होंने अनुभव, सत्संग और गुरुमुख से धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और सहज अनुभूतियों के आधार पर अपने मत को स्थिर किया था। महात्मा कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक भक्त, समाजसुधारक, रहस्यवादी कवि, युगप्रवर्तक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते है । उन्हें अपने समाजसुधारक, रहस्यवादी कवि, युगप्रवर्तक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते है । उन्हें अपने प्राणों का मोल कभी भी नहीं था । उनमें आत्मविश्वास दृढ संकल्प-शक्ति और अपने विचारों, विश्वासों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता थी । बचपन से ही वे चौकस बुद्धि के थे। उन्हें जीवनजगत-ब्रहम्, सृष्टि आदि के रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा होने लगी। तरह-तरह के प्रश्न मन में उठने लगे। उन प्रश्नों का जवाब न मिलता तो उनका मन बेचैन हो उठता था। और वे मुल्ला-मौलवी, साधुओं से झगडे पर उतारू हो जाते थे।

महात्मा संत कबीर ने बड़े व्यापक दृष्टिकोण से धर्म के महत्त्व को समझाया है। उन्होंने धर्म में मानवता को प्रमुखता दी है, इसी कारण उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को एक ही माना है। उनके अनुदार सारे मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बनाया है। सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दोनो ही धर्मो को बनाया है। सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दोनो ही धर्मो के कर्मकांडों और एकाकी विचारों का खंडन करते हुए उनपर करारा व्यंग्य किया है। साथ ही हिन्दू-मुस्लिम एकता लाने में वे काफी हद तक सफल हुए है। वे कहते है सभी मनुष्य एकही ईश्वर के पुत्र है।

कबीर परमेश्वर को निर्गुण निराकारी मानते है। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह घट-घट निवासी है। साधक अहंकार त्यागकर उसको प्राप्त कर सकता है। वे कहते है- परमेश्वर निराकार निर्गुन और अजन्मा है और अनादि अनंत है। ब्रह्मांड में एक परम सत्ता है, वही सृष्टि का निर्माण, पालन-पोषण एवं संहार करती है, वही जगत कर्तु-पार्तु-प्रहर्तु है। यह परम शक्ति, निरंजन है, उसके मुंह-माथा नहीं है, वह पुष्प की गन्ध से भी अधिक सूक्ष्म है।

''पुहुप वास तैं पातरा ऐसा तत्त अनूपा''

विभिन्न धर्मो, मजहबो, संप्रदायों ने भले ही उस परमसत्ता को अलग-अलग् नाम दिए हो- अल्लाह, खुदा, रहिम, करिम, राम, ईश्वर, गोविन्द पर वह एक ही है।

''वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिये।''

कबीर जाति-पाँति और वर्गभेद के प्रबल विरोधी थे। उनकी दृष्टि से भगवान की भक्ति में सबको समान अधिकार है। जाति तो इन्सान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। सभी मनुष्य में निर्गुन निराकारी परमेश्वर का अंश है। कोई भी उच्च या निच नही है। सभी मनुष्य एक है और मानवता यह एक ही धर्म है। वे कहते है- जाति से कोइ श्रेष्ठ या कनिष्ट नही बनता व्यक्ति तो अपने ज्ञान से श्रेष्ठ बनता है।

''जाति न पूछो साधु की पुछो उसका ज्ञान ।
मुल करो तलवार का पडा रहे जो म्यान ।।

उनके अनुसार जो कोई भी ईश्वर के चरनों मे लीन होता हैं उसका ही ईश्वर होता है। जो भी परमेश्वर का नामस्मरण करेगा वह परमेश्वर का अपने आप हो जाएगा। जात-पाँत से कोई परमेश्वर का नही होता...

''जाँति-पाँति पुछो नही कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई।''

कबीर ने धर्म के नामपर चलीआई रुढ़ियों और आडंबरों की कडी आलोचना की है। समाज में पाई जानेवाली कुरीतियों पर उन्होंने अपने वाणी से तिखा व्यंग्य किया हैं । धर्म के नाम पर की जानेवाली

मूर्तिपूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, रोजा, नमाज, हजयात्रा आदि विविध बाहयाडंबर का उन्होंने डटकर विरोध किया है। समाज में व्याप्त साधुओं मुल्ला-मौलवीओं का महत्त्व और उनके विसंगत आचरन को देखकर कहते है; 'ईश्वर तो कहतें है 'अगर सिर मुँडाकर साधु जैसा वेश परिधान करके कोई ईश्वर को पा सकता है? तो हरबार बकरी अपना सिर मुँडाती है, ह क्यों वैकुंठ नही जाती?' काफिरी भेस बनाकर रोजा नमाज पर दिन में पाँच बार नमाज अदा करने वाले मुल्लाओं के मन में भक्ति न हो तो उन्हें बाह्य दिखावा करने की आवश्यकता नही है। ईश्वर तो चींटीयों के पैरो की भी आहट सुनता है उन्हे जोरो की नमाज अदा करने की कोई जरुरत नही हैं....

"कांकर पाथर जोर करी, मस्जिद लई चुनाय।
ता चढ मुल्ला बाँग दे, क्या बहरो भयो खुदाय।।"

कबीर ने ईश्वर प्राप्ती के लिए नामस्मरण का होना आवश्यक माना है। लेकिन पोर्था, पुराण, वेद-शास्त्र तथा अन्य धर्म ग्रंथो का पठन निरर्थक माना है। उनका पुस्तकी ज्ञानपर विश्वास नही था। वे शाश्वत, वास्तविक ज्ञान का समर्थन करते है। उनके अनुसार पोथी या अन्य धर्मग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नही बनता जो प्रेम को समजे वह अपने आप ही पंडित बन जाता है....

'पोथी पढी, जग मुआ पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का, पढे सो पंडित होय।।"

इस प्रकार महात्मा कबीर ने तत्कालिन समाज को एक नई विचारधारा प्रदान की है। वह आज भी उपयुक्त साबित होती है। कबीर ने अपने वारी के माध्यम से समाज में सुधार लाया हैं। अपने क्रांतीकारी विचारों से यूग में समाज सुधार की नई चेतना फूँकने का काम किया है। उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को अपनाने का परामर्श दिया है वे सनातन हैं, सार्वमौलिक हैं और सार्वकालिक हैं। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने निम्न वर्ग में समाज से संघर्ष कर जागृती लाई उससे वे एक संघर्षशील समाज सुधशरक के रुप में उभर आते है। उन्होंने धर्म जाति, आडंबर, मिथ्या, व्रत-वैकल्य, कुरितियों, रूढ़ियों तथा सडी गली मान्यताओं की दलदल में फंसे समाज को उन्नती का एक नया रास्ता दिखाया । अनेक जाति-धर्म में बिखरे समाज को एक किया। भेद-भाव को नष्ट किया। ईश्वर को पाने का सरल तथा सीधा-साधा मार्ग बतलाया और समाज में व्याप्त अनाचार को कम करने सच्चे धर्म से लोगो को परिचित कराया। इसीलिए तो उन्हें भारत को इतिहास का तथा हिन्दी साहित्य का विलक्षण व्यक्ति नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति कहा गया है।

◆

जिंदगी

कितने रंग है दुनिया के
गहरे और फितरत के
'वफा' की आस करो तो!
'बेवफाई' मिल जाती है इनाम में
इनाम और ईमान में
फासला है चंद लब्जों का
ईमान ही जिसकी फितरत हो
वही हकदार है इनाम का ।
लेकिन....
मतलब बदल गया है
बदलते जमाने के साथ ईमान का
खुदगर्जी का अमल करे
वही हकदार है इनाम का ।
खंजर का वार करो उसी पर करो
जो है सरपरस्त अपना
पाओगे सारा जहाँ
तु ही हकदार है इनाम का....
जनाजे के साथ उसके
चंद कदम चलना है तुमको ।
ऐ 'जिंदगी' क्या? क्या?
सिखाया और दिखाया तुमने मुझको
रास न आया इस तरह जीना
अब.... मेरा अलविदा तुझको ।

जनार्दन शिंदे
कोंकण रेलवे

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970

प्रस्तुति
श्री. ए. डी. कावळे
न्युक्लियर पॉवर कार्पोरेशन लि.

अपने देश में श्रम कल्याण के लिए बहुत सारे कानून है । उनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970।

इसका उद्देश स्थापनों में ठेका श्रमिकों का नियोजन विनियमित करने और जहाँ संभव है वहाँ ठेका श्रम को उत्सादन करना है । यह कानुन 1970 में परित किया गया और फरवरी 1971 से पूरे भारत देश में लागू हो गया ।

यह कानून ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ।

यह ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को भी लागू होता है जो बीस या इससे अधिक कर्मचारी को नियुक्त करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त किए थे ।

समुचित सरकार को यह अधिकार है कि कम से कम दो मांस की सूचना देने के पश्चात इस अधिनियम को ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो बीस से कम कर्मचारियों को नियोजित करता है ।

यह अधिनियम जहाँ पर आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकृति का काम किया जाता है ऐसे स्थापनाओं को लागू नही है ।

किसी स्थापन में किया गया कोई काम आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकृति है या नही इसका निर्णय समुचित सरकार केंद्रीय या राज्य के सलाहकार बोर्ड (ठेका श्रम) से परामर्श करके लेती है ।

किसी स्थापन में किया गया काम उस दशा में आन्तरायिक प्रकृति का नही समझा जाता है,

- जबकि वह पूर्ववर्ती बारह मासों में एक सौ बीस से अधिक दिन किया गया था, अथवा
- जबकि वह सामायिक प्रकृति का है और एक वर्ष में साठ से अधिक दिन किया जाता है ।

समुचित सरकार :

(1) ऐसे स्थापन संबंध मे, जिसकी बाबत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है, तो केंद्रीय सरकार (2) किसी अन्य स्थापन के संबंध में उस राज्य की सरकार, जिसमें वह अन्य स्थापन स्थित है ।

ठेका श्रमिक : कर्मचारी को किसी स्थापन के काम में या काम के सम्बन्ध में ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित तब समझा जाएगा जब वह प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके जानकारी बिना, किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से, ऐसे किसी काम में या के संबंध में भाडे पर रखा जाता है ।

ठेकेदार : किसी स्थापन के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन को केवल माल या विनिर्माण – वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम में उस स्थापन के लिए सम्पन्न कराने का जिम्मा लेता है या उस स्थापन के किसी काम के लिए ठेका श्रमिक उपलब्ध कराता है और, इसके अन्तर्गत उपठेकेदार भी है ।

नियंत्रित उद्योग : इससे ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जिसके बारे में किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि संघा द्वारा उस पर नियंत्रण रखना लोक हित में समीचीन है । इस अधिनियम के तहत स्थापन का मतलब है ।

स्थापन मतलब–

(1) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग ।

(2) ऐसा कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, या उपजीविका चलाई जाती है ।

प्रधान नियोजक से अभिप्रेत है

(1) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के सम्बन्ध में उस कार्यालय या विभाग का प्रधान या ऐसा

अन्य अधिकारी जिसे, यथास्थिति, सरकार या स्थानिय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(2) कारखानें का संबंध में खान मालिक, अधिष्ठाता या प्रबन्धक;

(3) कारखाने के संबंध मे खान मालिक, अभिकर्ता या प्रबंन्धक;

(4) किसी अन्य स्थापन में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम का प्रभावी अंमल करने में निम्नलिखित चार पक्षकारों को अपनी भूमिका निभानी हैं।

1) केंद्र शासन/राज्य शासन (उनके श्रम मंत्रालय द्वारा)

2) प्रधान नियोजक

3) ठेकेदार

4) ठेका श्रमिक

अधिनियम के प्रशासन के लिए कार्यान्वयीन यंत्रणा –

1) केंद्र सरकार/राज्य सरकार का श्रम मंत्रालय

2) मुख्य श्रम आयुक्त/राज्य के श्रम आयुक्त

3) उपमुख्य श्रम आयुक्त (निश्चित परिक्षेत्र के लिए)

4) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (निश्चित क्षेत्र के लिए)

5) सहाय्यक श्रम आयुक्त (निर्धारित क्षेत्र के लिए) और

6) श्रम कार्यान्वयीन अधिकारी

इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होनेवाले मामलों पर जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, उसे सलाह देने के लिए, तथा इस अधिनियम के अधीन उसे सोंपे गए अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र तथा राज्य सलाहकर बोर्ड समुचित सरकार गठित करती है। इसका अध्यक्ष समुचित सरकार नियुक्त करती है। मुख्य आयुक्त (केंद्रीय) केंद्रीय सलाहकार (ठेका श्रम) बोर्ड के पदसिध्द सचिव होते है। राज्य के सलाहाकर (ठेका श्रम) बोर्ड के सचिव राज्य के श्रम आयुक्त होते है। सरकार, उद्योग, ठेकेदार और कर्मकारों के प्रतिनिधी (सम संख्यामें) बोर्ड के सदस्य होते है।

यदि जरूरत है तो केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड ऐसी समितियाँ गठित करेगी जिसका प्रयोजन है।

अधिनियम के धारा 6, 7, 8 ठेका श्रमिकों को नियोजित करनेवाले स्थापनों का पंजीकरण के संबंधी है।

धारा 6 के अनुसार समुचित सरकार राजपत्रित अधिकारियों की परिनिश्चित सीमाओं के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करनेके लिए पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्ती करती है।

धारा 7 के अनुसार ऐसे किसी स्थापन का, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, प्रधान नियोजक का यह कर्तव्य है की अपने स्थापन के पंजीकरण अधिकारी से उचित समय में आवेदन करके स्थापन का पंजीकरण कर ले। आवेदन विहित फॉर्म और रीतीसे, आवश्यक फी की रक्कम भरके करना है। पंजीकरण अधिकारी यदि उचित कारण है तो नियत समय के पश्चात आवश्यक मामलों मे आवेदन ले सकता है। यथायोग्य छानबीन और पूर्तता होने पर पंजीकरणकर्ता अधिकारी उस स्थापन की पंजीकरण के स्थापन के प्रधान नियोजक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र देता है। केवल आपतकालीन बहुतही कम अवधी के काम होने पर इस प्रक्रिया में छुट मिल सकती है।

प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूपसे स्थापन में जादह से जादह कितने ठेका श्रमिक काम कर सकते है यह बताया जाता है। प्रधान नियोजक का तबादला होने पर या स्थापन में अन्य कोई बदलाव आते है जैसे कि व्यावसायिक स्वरूप, कार्यालयीन पता, दूरभाष क्रमांक, ठेका श्रमिकों की संख्या, ठेकेदार, यह बाते पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।

यदि किसी स्थापन का पंजीकरण दुर्व्यपदेशनद्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबाकर प्राप्त किया है या किसी कारण से पंजीकरण बेकार या प्रभावहीन हो जाता है तो पंजीकरणकर्ता अधिकारी स्थापन के प्रधान नियोजक को सुनवाई का अवसर देकर और समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पंजीकरण वापस ले सकता है।

ठेकेदारों का अनुज्ञापन

धारा 11 के अनुसार समुचित सरकार परिनिश्चित सीमाओं के लिए अनुज्ञापन अधिकारियों की नियुक्ती करती है।

धारा 12 के तहत कोई भी ठेकेदार जिसे यह अधिनियम लागू है अनुज्ञापन अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ही ठेका श्रमिकों के माध्यम से किसी स्थापन में कोई काम कर सकता है।

यह अनुज्ञप्ति एक ही काम के लिए, उसी स्थापन के लिए लागू है जहां ठेकेदार ने काम लिया है । यह अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने के लिए जो आवेदन भरना पडता है उसके साथ प्रधान नियोजक द्वारा फॉर्म 5 दाखिला - जिसमें ठेकेदार को सौपे हुए काम का ब्यौरा होता है लगाना जरूरी है ।

यह अनुज्ञप्ति में ठेका श्रमिकों के संबंध में काम के घंटो, मजदूरी के दर नियत की जाने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में शर्ते होती है।

अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन के साथ विहित फीस और शर्तो के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति राशि जमा करनी पडती है ।

उचित कारण होने पर, कुदरती न्यायप्रक्रिया का पालन करके अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञाप्ति वापस ले सकता है । निलंबित कर सकता है।

ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 **तहत प्रधान नियोजक के कर्तव्य**

1) पंजीकरणकर्ता अधिकारी से अपने स्थापन का पंजीकरण करना ।

2) ठेकेदार को फॉर्म 5 दाखिला देना ।

3) श्रमिक ठेके के काम की शुरूआत होने पर तथा काम खतम हो गया तो उसके बारे में पंजीकरणकर्ता अधिकारी को जानकारी देना ।

4) विहित तरिकी से ठेकेदारों का रजिस्टर और अन्य अभिलेख बनाए रखे जाना ।

5) अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशद्वार पर सूचना पट लगाना जिसमे प्रधान नियोजक का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक, पंजीकरण कर्ता अधिकारी का नाम, पता, दूरभाषा क्रमांक, किमान वेतन दर, कामकाज के दिन तथा छुट्टी के दिन, वेतन का कालावधी यह जानकारी होनी चाहिए ।

6) पंजीकरणकर्ता अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट विहित ढंग से सादर करना (साल समाप्त होते ही फरवरी 15 से पहले)।

7) ठेका श्रमिकों को वक्तपर सही वेतन मिल रहा है इसके लिए अपने प्रतिनिधी के उपस्थिती मे वेतन भुगतान करने को ठेकेदारों को प्रवृत्त करना ।

8) यदि ठेकेदार असफल हो गया तो कैंटींन, रेस्टरूम (विश्रामगृह), प्रसाधनगृह, हात धोने की सुविधा प्रदान करना ।

ठेकेदारों का कर्तव्य

1) ठेका श्रमिक काम शुरू होने से पहले अनुज्ञापन अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना ।

2) अनुज्ञप्ति में दर्शांई गई सभी सुविधा जैसे कि किमान वेतन दर, वेतन समय, पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट, कॅप्टीन, वॉश रूम, प्रथमोपचार की सुविधा श्रमिकों के लिए प्रदान करना ।

3) कर्मचारियों का रजिस्टर, हजेरी पत्रक, वेतन से किए जानेवाले वसुली का रजिस्टर, अपराध के लिए वसुल किए जानेवाले दंड राशी का रजिस्टर, ओव्हरटाईम रजिस्टर कर्मचारियों को दिए हुए अग्रिम राशी का रजिस्टर, वेतन भूगतान का रजिस्टर बनाए रखना ।

4) अधिनियम के तहत बनाए हुए नियमों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना । नियमों की भाषा जो स्थानिक मजदूरी भाषा है वही भाषा होनी चाहिए ।

5) ठेका श्रमिकों का वेतन कालावधी-रोजंदारी/एक हप्ता / एक माह सुनिश्चित करना ।

6) ठेका श्रमिक को वेतनपत्र जारी करना ।

7) ठेका श्रमिक को हजेरीपत्रक जारी करना ।

8) हर छमाही में अनुज्ञापन अधिकारी को रिपोर्ट देना (विहित फॉर्म में)।

अधिकारियों के कर्तव्य

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के प्रभावी अंमल करने के लिए सभी अधिकारियों के कर्तव्य है ।

1) स्थापनों का पंजीकरण और ठेकेदारों को अनुज्ञापन करना ।

2) नियत कालावधी में प्रधान नियोजक और ठेकेदारों के स्थापन का निरीक्षण करना ।

3) नियत अवधी में प्रधान नियोजक और ठेकेदारों से रिपोर्टस् प्राप्त करना ।

4) जहाँपर कमियाँ नजर आएंगी वहाँ उचित कानूनी कारवाई करना ।

खंड 10 के तहत समुचित सरकार यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करके किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया संक्रिया या अन्य काम में ठेका श्रमिकों का नियोजन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रसिद्ध कर सकती है ।

कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापन में ठेका श्रमिकों के लिए काम की परिस्थितियों और प्रसुविधाओं का, जिनकी व्यवस्था की गई है, तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखेगी जैसे कि-

- क्या वह प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारोबार या उपजीविका के आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक है;
- क्या वह वर्षानुवर्षी प्रकार का है अर्थात क्या वह उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारोबार या उपजीविका का ध्यान रखते हुए पर्याप्त समय के लिए है;
- क्या वह उस स्थापन में या उससे मिलते-जुलते स्थापन में नियमित कर्मचारियों के माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है;
- क्या प्रचूर संख्या में पूर्ण कालिक कर्मचारियों को नियुक्त करना पर्याप्त है ।

◆

सजा...

अनदेखे धागों में बाँध गया है कोई,
कि ना वो साथ है, ना हम आझाद है ।
ऐसे कश्मकश में छोड गया है कोई,
कि ना चैन दिन में है, ना नींद रात में है ।
तीर-ए-नजरों का वार हि था कुछ इस कदर,
कि ना जख्म शरीर पे है, ना दिल सीने में है ।
चंचल अदाओं ने ऐसे ले लिया मेरा होश,
कि अब ना अश्क आँखों में है, ना मुस्कान लबों पे है ।
उलझ गये हर पल मेरे यादों में उनके, उनके बिना,
कि अब ना सजा मरने में है, ना वजह जीने में है ।

- दिपेन जी. राबर्ट
बैंक ऑफ इंडिया
आरोंदा शाखा

मैं बोझ नही हूँ

शाम हो गई, अभी तो घुमने चलो ना पापा
चलते चलते थक गई, कंधे पर बीठा लो ना पापा
अँधेरेसे डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा
मम्मा तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुलानों ना पापा
स्कूल तो पूरी हो गई, अब कॉलेज जाने दो न पापा
पाल पोस कर बडा किया, अब तो जुदा करो ना पापा
अब डोली में बीठा दिया तो, आँसू तो मत बहाओं न पापा
आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ न पापा
आपने मेरी हर बात मानी, एक बात और मान जाओ न पापा
इस धरती पर बोझ नहीं मैं, दुनियाँ को समझाओं न पापा

संग्रहित - सागर अशोक घोटणे
सहाय्यक संकेत एव दूरसंचार अभियंता

पुस्तक की आत्मकथा

सदानंद चितले
कोंकण रेल्वे

रात के करीब 12 बज गए थे । मैं मेरे मोबाइल पर ऑडियो बुक डाउनलोड कर रहा था । डाउनलोड करते-करते मुझे नींद लग गई । अचानक किसी आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई । आवाज सुनकर मुझे डर लगने लगा । आवाज कहने लगी तुम मुझे बुलाते हो और सो जाते हो ? मैंने डरते-डरते कहा कि मैंने किसी को भी इतनी रात के समय नहीं बुलाया । फिर से आवाज आई याद करो तुमने मुझे बुलाया है । मैंने फिर से कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया है । तब वह आवाज कहने लगी कि, 'भाई डरो मत, मैं कोई भूत-प्रेत या आत्मा नहीं हूँ' । फिर मैंने पूछा 'आप हैं कौन?' सामने से आवाज आई मैं पुस्तक हूँ । फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पाया और मैंने पूछा कि पुस्तक कब से बोलने लगी? सामने से आवाज आई, 'मैं तुम्हारे मोबाईल में स्थित ऑडियो बुक से बोल रही हूँ । मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब से ऑडियो बुक तैयार किए गए तब से मुझे आवाज मिल गई और मैं बोलने लगी । अब तो आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया?' मैंने पुस्तक से कहा आप तो अभी बोल सकती हैं तो कृपया मुझे आपका इतिहास बताएं । पुस्तक ने कहा 'हाँ! हाँ! जरूर'।

मेरा जन्म करीब छह हजार साल पहले हुआ है । मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि वेद महर्षि व्यास ने बताई और भगवान श्री गणेश ने लिखि पहिली रचना याने वेद । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद ये चार वेदों की रचना हुई । उस समय मेरा स्वरूप अलग था । भूर्ज पत्र पर लिख कर अलग-अलग पन्नों को एक कपडे में बांधा जाता था । मेरा स्वरूप और कई सालों तक ऐसा ही रहा । इसके बाद महाकवि रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌भगवत गीता (जो महाभारत का ही भाग था) ऐसी कई अनन्य साधारण रचनाएँ बनी । इस काल खंड में लोग मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते थे और मुझे सम्मान देते थे । अध्ययन करके महान विद्‌वान बने थे । कई सालों तक यह सिलसिला जारी रहा ।

मध्य युग में भूर्ज पत्र तथा कागज पर भी लिखना शुरू हो गया । मध्य युग में कई संत महात्माओं ने अपनी रचनाएँ और ग्रंथ लिखें । जिसमें धार्मिकता के साथ-साथ सामाजिक विषय भी आने लगे । अनेक धर्म बने, पंथ बनें वे अपने-अपने विचार समाज में प्रेषित करते रहें लेकिन मेरा स्वरूप अभी भी एक पन्ने और कपडे में बांधकर रखने पडे ।

इसके पश्चात आधुनिक युग आ गया । नए तंत्र, नई तकनीक इससे कागज अच्छे गुणवत्ता का बनाना शुरू हो गया । मेरे स्वरूप में भी बदलाव आ गया । अब मुझे बाइंडिंग भी करने लगे हैं । मेरे पृष्ठ खो जाने का मुझे भी डर लगता था वह कम हो गया । कागज पर अब टाइपिंग होना शुरू हो गया । इस पर फोटो आने भी शुरू हो गए । मुझे इससे खुशी महसूस होती है । इन दिनों में सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनाएँ होने लगी । उपन्यास, कहानी, कथा, कविता, जीवनी और अन्य प्रकार के साहित्य लिखे गए । मुझे आनंद मिलता था कि मुझे पढने से लोगों के विचारों में परिवर्तन होता था अपने ऊपर होनेवाले अन्याय के खिलाफ इकट्ठा हो जाते थे । इस काल में मनोरंजन भी होता था और धार्मिक कार्य भी होते थे । बुझे पढने से सभी स्तर के लोगों को जीवन में फायदा होना था । इसलिए मैंने ही कहा है कि, 'तैलाद रक्षेत्, जलाद रक्षेत्, रक्षेत् शिखिल बंधनात । मूर्ख हस्ते नदा तव्यम एवं वादती पुस्तकम ।'

मुझे तेल, जल और खराब बाइंडिंग से बचाए और जो मूर्ख है जिसे पुस्तक का महत्व नहीं है उसके हाथ में मुझे मत दें ।

लेकिन इस सूचना प्रौद्योगिकी युग में ये मुझे कहना नहीं पडेगा । मुझे कंप्युटर में रखने मे मेरी रक्षा अच्छी तरह से होगी । मुझे लग रहा था कि इन्टरनेट के इस युग में मुझे कौन पढ़ेगा? लेकिन यह

गलत निकला । मेरा स्वरूप अब इलेक्ट्रोनिक हो गया है । मुझे पहले जैसे ही लोग पढते हैं । मुझे लग रहा था मेरा क्या होगा ? लेकिन मेरे अब अच्छे दिन आए हैं । मेरे जीवन में मेरा मान बढ़ गया है मेरे पृष्ठ भी बढ़ गए और मुझे रखने के लिए जगह भी बहुत कम लगती है । मेरी मरम्मत करने की कोई जरूरत नहीं ।

इसलिए में आज के लोगों को मेरा ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके ज्ञान बढ़ाने के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ । और मेरे इस नए और टिकाऊ स्वरूप के लिए धन्यवाद देती हूँ ।

इसके बाद मैं गर्मी से परेशान हो गई और मैं उठ गई और मोबाइल को देखा तो वह बंद था । कोई आवाज नहीं आ रही थी । फिर मुझे पता चला कि ये एक सपना था । सत्य नहीं ।

◆

दुनिया में ऐसे लीडर की जरूरत है

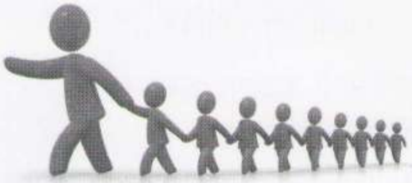

- जो अपने प्रभाव का उपयोग सही कारणों से सही समय पर करते हैं,
- जो दोष का बडा हिस्सा लेते हैं और श्रेय का छोटा हिस्सा
- जो दूसरों का नेतृत्व करने का प्रयास करने से पहले खुद का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते है,
- जो परिचित जवाब के बजाय सर्वश्रेष्ठ जवाब की तलाश जारी रखते हैं,
- जो अपने संगठन और लोगो को अधिक मूल्यवान बना देते हैं,
- जो व्यक्तिगत लाभ के बजाय दूसरों के लाभ के लिये काम करते हैं,
- जो अपने साथ दिमाग से पेश आते हैं और दूसरों के साथ दिल से,
- जो रास्ता जानते हैं, रास्ते पर चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं,
- जो धमकाने और शोषण करने के बजाय प्रेरित करते हैं ।
- जो लोगों के साथ इसलिये रहते हैं, ताकि उनकी समस्यायें जानें और ईश्वर के साथ इसलिये रहते हैं, ताकि वह उन समस्याओं को सुलझायें,
- जिन्हें एहसास है कि उनका व्यवहार उनके पद से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं,
- जो ओपिनियन पोल का अनुसरण करने के बजाय नये विचारों को ढालते हैं,
- जो समझते हैं कि संस्था उनके चरित्र का प्रतिबिंब हैं,
- जो अपने आपको दूसरों के उपर कभी नहीं रखते, सिवाय जिम्मेदारियाँ लेने के,
- जो छोटी चीजों में भी उतने ही ईमानदार होते है, जितनी कि बडी चीजों में,
- जो खुद को अनुशासित करते हैं, तो वे उनका इस्तेमाल उप चढने की सीढी के रूप में करते हैं,
- जो खुद को अनुशासित करते है, तो वे उनका इस्तेमाल उपर चढने की सीढी के रूप में करते हैं,
- जो एक नैतिक कम्पास का अनुसरण करते हैं जो सही दिशा की ओर संकेत करता हैं, चाहे परिस्थितियाँ या प्रवृतियां कैसी भी हों ।

संकलन – श्री. विश्वनाथ आडारकर
बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय

माझं जगणं

मला जगलं पाहिजे, फुललं पाहिजे,
कुणासाठी तरी काहीतरी केलं पाहिजे.

तुटलेल्या हातांना आधार दिला पाहिजे,
सडलेल्या पायांना ताकद दिली पाहिजे,
कोमेजल्या मनात अंकुर दिला पाहिजे,
मला जगलं पाहिजे.....

फुलण्याआधी तोडल्या कळ्यांना,
मला झेललं पाहिजे,
तळहाताच्या उबदार पाळण्यात,
गोंडस अनाथांना तोललं पाहिजे,
मला जगलं पाहिजे......

कैदेत सडणाऱ्या निरपराधी जीवांना,
मला जीवदान दिलं पाहिजे,
हिंसेचे तांडव माजवणाऱ्या दैत्यांना,
तिन्ही लोकी ठोकरलं पाहिजे,
मला जगलं पाहिजे.....

खूपदा वाटतं संपावं पालापाचोळा व्हावं,
अन् मातीत मिसळून मिटून जावं
पण..... नाही मातीचाच सुगंध हिरावणाऱ्या
राक्षसांचा संहार करण्यासाठी
मला जगलं पाहिजे, फुललं पाहिजे,
कुणासाठी तरी काहीतरी केलं पाहिजे.

महेंद्र विनायक पाटणकर
दूरदर्शन केंद्र, रत्नागिरी

ऋतु

वसंताची लागे चाहूल
जसं उत्साही पडे पाऊल
वृक्ष पालवीचा बहर
मनात चैतन्याचा कहर

ग्रीष्मातील उन्हाची झळ
प्राणिमात्र सोसतील सल
जलासाठी केविलवाणे होऊन
आशेवर जगण्याचे नाव कोरून

वर्षा ऋतुच्या हिरवळीवरून
जुळणाऱ्या मनांना भाराऊन
प्रियकर प्रेयसीच्या प्रितीला
तारेल ह्रदयातला अबोला

शरदातील शुभ चांदणं
जणू पारिजातकाचं शिंपण
तृप्त धरणीच्या कायेवरती
काजव्यांची ही येई भरती

हेमंतातील भारव्यात न पटून
नखशिखांत देह शहारून
जिवलगांना घालीत साद
पाखरांनी केला एकची नाद

शिशिरातील दवबिंदूंच्या संग
वृक्षांना तव पानगळती लागे
निसर्गाने केला मग संकल्प
सृष्टित पुन्हा आणू नाविन्य

दीपक नारायण वैद्य
आंन्ध्र बैंक.रत्नागिरी -

नियतीचा प्रहार

अक्ष्यम्य ह्या गुन्ह्याला
न आधार कोठला,
परि जगतात जो करी
प्राण नश्वर तुझा

आता तव हा काळ
वेड्यासम धावे,
तू कोण अन् कुठला
तो तुजसाठी थांबे

भरकटलेल्या जीवाचे
अस्तित्व काय आहे,
जणू वाळवंटात एक
पान डोलत आहे

ह्या प्रकाशातही सख्या
गर्द काळोख आहे,
वेळीच गाठ वाट
पैलतीर लांब आहे

नश्वर ह्या जीवाचा
अंत नको घेऊस,
निर्भीड होऊन ऊठ
हे रान तुझे आहे.

तुषार माणिकराव
बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय

हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताएँ प्रतिभागियों की बैठक में काव्य प्रस्तुति

श्री.गौरव प्रताप सिंह, बैंक ऑफ इंडिया

श्री. राजेश बसवर, बैंक ऑफ इंडिया

श्रीमती मनिषा झगडे, डाक कार्यालय

स्टार विचार

जीवन उस बाँसुरी के समान है जिसमें कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको बजाना आ गया तो जिन्दगी के सारे सुर बराबर बजेंगे ।

आस्था रडार के समान है, जो धुन्ध में भी दूर की चीजों की वास्तविकता को देखती है जिसे हमारी आँख नहीं देख पाती ।

काम आसानी से बनने लगे तो इसका मतलब यह होता है कि अन्धेरी बन्द गली की गलत राह पर चलना आपने बन्द कर दिया है ।

दूसरों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो, जितनी जल्दी आप भगवान से अपने लिए माफी की उम्मीद रखते हैं ।

ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना कुछ इस प्रकार से की है कि न तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और न ही स्वयं को लात मार सकते हैं । इसलिए हमारे जीवन में मित्र और आलोचक होना जरूरी है ।

आनन्द हमारे अपने ही घर में होता है, उसे दूसरों के बगीचों में ढूँढना व्यर्थ है ।

हमारी सबसे बडी कमजोरी हार मान लेने में है । सफल होने का सबसे सटीक तरीका है, एक बार और कोशिश करना ।

हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए, जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं ।

संकलन : श्री. सतीश रानडे, न्यु ईडिया एश्योरन्स कंपनी.

हार्दिक बधाईयां

हमारे सदस्य कार्यालय कोंकण रेलवे, क्षेत्रीय कार्यालय रत्नागिरी
को गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग व्दारा ख क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार

स्वागत

श्री. प्रशांत एस.पाटील
सहाय्यक आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रत्नागिरी.

अभिनंदन

श्री. राहूल हटवार
पुत्र : श्रीमती उषा हटवार इंडियन ओवरसीज बैंक, रत्नागिरी शाखा
बी.ई. मेकॅनिक विशेष प्रवीणता के
साथ प्रथम वर्ग में सफल

कोर कमेटी सदस्य

श्री.सतीश रानडे

श्री.जनार्दन शिंदे

श्री.पुरूषोत्तम डोंगरे

श्री.लक्ष्मीकांत भाटकर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय रत्नागिरी के ओर से सदस्य कार्यालयों के लिए कार्यशाला का आयोजन

हिंदी तिमाही रिपोर्ट की सही प्रस्तुति

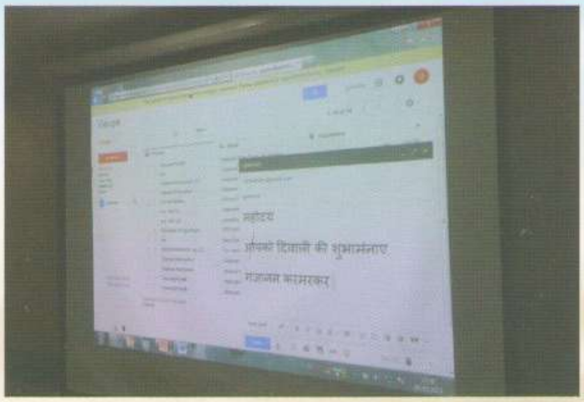

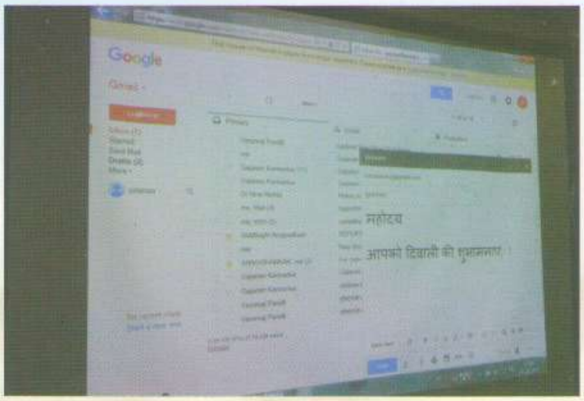

युनिकोड डाऊनलोड, अपलोड तथा हिंदी में ई-मेल करना प्रशिक्षण

आंतरिक कामकाज में राजभाषा का प्रयोग

नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.